



हर रिश्ते का रखे ख्याल...

तो सवाल ये है, ओसवाल सोप ही क्यों?



ये बना है
नेचुरल ऑयल्स से



खारे पानी में भी
कपड़े करे साफ़



कम गले
ज्यादा चले



कपड़ों और हाथों का
रखे ख्याल



इसलिए हर घर का भरोसेमंद नाम
ओसवाल सोप



Product image is for illustrative purposes only and may differ from the actual product

ओसवाल सोप ग्रुप - हर रिश्ते का रखे ख्याल

सोप एवं टब सोप



अधिक जानकारी के लिए
+91 91161 71956, 96802 01956 पर कॉल करें
जोधपुर डिपो: 82792 55965, 82090 96311 पर कॉल करें

विपणन :
उत्तम चन्द देसराज

अब घर बैठे मँगवाये ओसवाल उत्पाद
OswalSoap.com पर जाएं या
स्केन करें और ओसवाल ऐप डाउनलोड करें
GET IT ON
Google Play



विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

राष्ट्रपति के प्रश्न तीन के उत्तर में संविधान पीठ ने माना कि राज्यपाल का function justiciable mandamus नहीं है फिर Mandamus जारी करने के निदेशन से कोर्ट स्वयं ही संकट में आ सकती है

कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडु राज्य की सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने अपने निर्णय में यह राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिये विधेयकों (बिलों) पर निर्णय लेने की सीमा तय की थी। संविधान के सम्बन्धित प्रावधानों में समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। अतः संविधान के अनुच्छेद 200 व 201 की सही व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 कानूनी बिन्दुओं पर राय मांगी। मूल प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में माना कि राष्ट्रपति राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति व राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान भिन्न हैं। प्रारम्भ में ऐसा कहा जाता था कि ये दोनों ही संवैधानिक प्रमुख रबर स्टाम्प की तरह अपना काम करेंगे; किन्तु समय ने यह सिखा दिया कि ऐसा सोचना सही नहीं था। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 एवं 55 की प्रक्रिया के अनुसार चुना जाता है और राज्यपाल (गवर्नर) की नियुक्ति अनुच्छेद 155 की प्रक्रिया से राष्ट्रपति करते हैं। दोनों ही संवैधानिक प्रमुखों को कार्यपालिका व विधायिका के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 154, 161, 163 व 166 उन्हें कार्यपालिका के अधिकार देते हैं और अनुच्छेद 168, 158, 200, 201, 213 व अनुच्छेद 174 उन्हें विधायिकका के अधिकार देते हैं। जजों की संविधान पीठ ने अर्थात् सीजेआई गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस चंद्रकर व जस्टिस नरसिम्हा ने अपनी राय एक सुरू में दी है। अनुच्छेद 200 की जो विशद व्याख्या की गई है वह अद्भुत व प्रशंसनीय है। सोलोसिटर जनरल तुषार मेहता के शब्दों में वह ज्ञानवर्धक है और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने निर्णय को विवेकपूर्ण व विचारशील बताया।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह माना कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 200 व 201 के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय लेने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती। इस प्रकार संविधान पीठ ने यह माना कि खण्डपीठ का निर्णय दिनांक 08 अप्रेल, 2025

जुटिपूर्ण था, जिसमें खण्डपीठ ने राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिये समय सीमा तीन माह तय की थी। इसी फैसले के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बिन्दुओं पर राय मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न 1 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के तहत

राज्यपाल के पास तीन संवैधानिक विकल्प हैं वे मंजूरी दें, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखें या पुनः विचार के लिये टिप्पणी के साथ विधान मण्डल को लौटा दें। उनके पास बिल रोकने का विकल्प नहीं है। प्रश्न 2 के उत्तर में संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद में ऐसी कोई बाध्‍यता नहीं है कि राज्यपाल मंत्री परिषद से सला लेवें। प्रश्न 3 के उत्तर में संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल के विवेक प्रयोग की समीक्षा न्यायपालिका नहीं कर सकती; किन्तु संविधान पीठ ने इस मत की अभिव्यक्ति करते हुये भी यह कह दिया कि यदि लम्बे समय तक, अस्पष्ट निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय न लेने पर कोर्ट विचार कर अपना निर्देश दे सकती है। संविधान पीठ ने अपने निर्णय (राय) दिनांक 20.11.2025 के पेरा 165 में उपरोक्त कथन को निम्नलिखित रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया है :–

“165.3: The discharge of the Governor’s function under Article 200, is not justiciable. The Court cannot enter into a merits review of the decision so taken. However, in glaring circumstances of inaction that is prolonged, unexplained, and indefinite — the Court can issue a limited mandamus for the Governor to discharge his function under Article 200 within a reasonable time period, without making any observations on the merits of the exercise of his discretion.”

संविधान पीठ ने एक ओर तो विधेयकों पर राज्यपाल से समय सीमा पर मंजूरी प्राप्त न होने पर स्वतः मंजूरी (Deemed Assent) की संविधान की भावना के विपरीत और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध माना है। दूसरी ओर उपरोक्त पेरा 165.3 में जो भावना अभिव्यक्त की है वह प्रश्न एक के उत्तर पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। सब कुछ कहने और स्पष्ट करने पर भी मूल प्रश्न का उत्तर अनुत्तरित ही दिखाई देता है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख कोर्ट की अनिश्चितकाल अथवा अस्पष्ट बात वाली सलाह पर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो फिर क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय स्पष्ट करता है कि बिल के कानून बन जाने के बाद judicial Adjudication के सिद्धान्त लागू होते हैं, इससे पूर्व राज्यपाल के विवेकपूर्ण निर्णयों पर कोर्ट का दखल स्वीकार नहीं किया गया है। अनुच्छेद 200 व 201 के प्रावधानों की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है वह सप्रसन्न में ज्ञानवर्धक है, और स्पष्ट करती है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को केवल वे विकल्प प्राप्त हैं जिनका उल्लेख प्रश्न 1 के उत्तर में दिया गया है। समय उपाय या deemed asscnt का सिद्धान्त अनुच्छेद 200 की शब्दावली में संशोधन करना होगा, जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के प्रयोग के बिना नहीं हो सकता।

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा राष्ट्रपति पर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के बाद, अब केवल यह विकल्प कार्यपालिका के पास है कि संविधान में यशोचित संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र ही किया जावे और इस उलझी हुई स्थिति से देश को मुक्ति दिलाई जावे। जनहित व देशहित में यह सही मार्ग है।

हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केन्द्र में केन्द्रीय सरकार है और राज्यों में राज्य की सरकारें। हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। केन्द्र और राज्यों में अलग–2 राजनीतिक पार्टियों की सरकारें शासन का संचालन करती हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी अधिक होती है। इनमें सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है। हमारे संवैधानिक प्रमुख जैसे प्रेसीडेंट व गवर्नर केवल मात्र शोभा के पात्र अथवा रबर स्टाम्प मात्र नहीं हैं। उनकी भूमिका का अपना ही महत्व है उन्हें विवेक व संतुलन के आधार पर अपना कर्त्तव्य पालन करना होता है तथा अपनी शपथ के अनुसार संविधान की रक्षा करना है, उसकी पालना करना है। संविधान पीठ ने संवैधानिक प्रमुखों की स्वतंत्रता का अक्षुण्णता प्रदान की है। केन्द्र और राज्य में विभिन्न राजनीतिक मतवालगुम्वियों की सरकारों में आपसी टकराव देखने को मिल रहे हैं, उनमें आपसी सन्तुलन रखना जहां आवश्यक है वहीं बहुत ही नाजुक भी है। अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते समय यह तो कोर्ट ने माना है कि राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है, किन्तु यह कह दिया कि अनिश्चितकाल तक निर्णय को रोकना जाना भी उचित नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट का दखल संविधान की गतिशीलता के लिये आवश्यक है, इस प्रकार संविधान पीठ ने लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को गतिरोध के चक्करों में फंसेने से बचाने का प्रयत्न किया है। लोकतंत्र की गतिविधियों में चैक व बेलेंस होना आवश्यक है ताकि शक्ति का संचालन में केन्द्रीकरण का खतरा न हो सके। संविधान पीठ ने अपने साहसिक, ज्ञानवर्धक तथा प्रतिभाशाली निर्णय और भविष्य की सुरक्षा के लिये अपनी कलात्मक अनिश्चितकारी टिप्पणी से राहत तो देती; किन्तु अपने स्वयं के लिए एक बड़ी आफत को भी जन्म दे दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अनुच्छेद 21 में शब्द ‘स्पर्मि’ को व्याख्या करते हुये माना है कि स्पर्म यानी जीवन की गरिमा के लिये न्याय सस्ता, सुलभ व त्वरित होना आवश्यक है, किन्तु देश के नागरिकों को त्वरित न्याय से सर्वथा वंचित दिखाई देते हैं। न्यायालय के प्रत्येक व्यवहार में विलम्ब हो रहा है। वर्षों से मुकदमें लम्बित हैं। फैसलों ही इंतजार ही में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जानमत की अर्जियां तक फैसलों की प्रतीक्षा में दिखाई देती है। जेल में सजा काट रहे कैदियों की अपील, सजा समाप्ति तक निर्णित नहीं होती। सिविल के मुकदमों का निर्णय पोतों के जीवन में भी हो जायेगा, इसकी सम्भावना नहीं है। न्याय सुलभ भी नहीं है और न्याय मंहगा भी बहुत है। कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों की फीस लाखों रूपये प्रति पेस्री तक है।

न्याय त्वरित नहीं है, सही है; किन्तु न्याय के सुलभ तथा शीघ्र निस्तारण के लिये न्यायालय कोई कारगर कदम भी नहीं उठा रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट का कार्य पुराने नियमों के अनुसार ही हो रहा है। नये रूल बनाने में ही वर्षों का समय लगने के बाद भी, लागू तक नहीं किये गये हैं। डिजिटलाईजेशन का उपयोग व प्रयोग कोई संतोषजनक गति नहीं पा सका है।

संविधान की पीठ ने तमिलनाडू के केस के सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा पूछे गये 14 प्रश्नों का उत्तर special reference no.1of 2025 में संविधान पीठ ने दिनांक 20.11.2025 को दिया है और उसमें स्पष्ट शब्दों में पेरा nं0 165.3 में कहा है कि न्यायालय को उन परिस्थितियों जिनका उल्लेख ऊपर कहा गया है कोर्ट सीमित mandamus जारी कर सकती है। अतः प्रश्न उठाय़ा जा सकता कोर्ट के कार्य में विलम्ब के विषय में कितनी mandamus के हेतु याचिकायें पेश होंगी सोचकर ही सिर चकरा जायेगा।

Sir का प्रश्न संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग से सम्बन्ध रखता है, जिसे निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के सम्पूर्ण अधिकार संविधान ने दिये अनुच्छेद 324 में दिये हैं अर्थात् इस विशेष पर चुनाव आयोग का निर्णय, न्यायिक समीक्षा से परे है। यदि हम संविधान पीठ के उत्तर की पृष्ठभूमि पर उसे लागू करें तो सम्भव है सभी याचिकायें justiciable नहीं रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का अनुच्छेद 329 में वर्जन है।

सत्यमेव जयते! –अतिथि सम्पादक पानाचन्द जैन, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट

संपादकीय

प्रदेश का सड़क तंत्र बन रहा मजबूत विकास, विश्वास और सुगमता की नई राह पर राजस्थान



अलका सक्सेना

राजस्थान आज अपने विकास यात्रा के उस दौर में है, जहां सड़कें केवल गंतव्य तक पहुंचने का माध्यम नहीं रही, बल्कि वे प्रगति, समृद्धि और सुशासन की सशक्त पहचान बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सड़कों के व्यापक नेटवर्क को विस्तार देने, गुणवत्ता सुधारने और सुगमता बढ़ाने का जो अभियान शुरू किया है, उसने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को एक नई गति प्रदान की है। ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर गांवों की गलियों तक, हर दिशा में विकास का पहिया गति पकड़ चुका है।

राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक 24,976 करोड़ की राशि व्यय कर 36,140 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर उल्लेखनीय

कीर्तिमान स्थापित किया है। यह उपलब्धि केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि यह सरकार के उस विजन का परिणाम है जिसमें हर नागरिक तक सुगम, सुरक्षित और तेज़ आवागमन की सुविधा पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में सड़कों के विकास हेतु 12,391 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 28,600 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के विकास के लिए 14,816 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों ने न केवल ग्रामीण अंचलों की काया पलट दी है, बल्कि वहां के लोगों के जीवन स्तर में भी अभूतपूर्व सुधार लाया है। अब तक 1,564 गांव और बसावटें सड़कों से जुड़ चुकी हैं। साथ ही 3,543 किलोमीटर लंबाई की ‘मिसिंग लिंक’ सड़कों के लिए 1,328 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे पहले से कटे या दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की राह खुली है।

इसी तरह, 327 अटल प्रगति पथों के निर्माण के लिए 813 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब गांव केवल खेती तक सीमित नहीं, बल्कि तेज़ी से विकास के केंद्र बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 22 माह से अधिक के कार्यकाल में राज्य राजमार्गों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।

कुल सड़क नेटवर्क 3,17,121 किलोमीटर तक पहुंच गया है। सड़क घनत्व अब 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 92.66 किलोमीटर तक बढ़ चुका है। यह दर्शाता है कि राज्य के हर हिस्से में कनेक्टिविटी और पहुंच में गुणात्मक सुधार हुआ है।

राज्य में कुल 39,408 गांव अब सड़कों से जुड़े हैं। वहीं 47 राष्ट्रीय राजमार्ग और 23 राज्य राजमार्गों के उच्च गति यात्रा के लिए उन्नत किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 10,790 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 17,376 किलोमीटर राज्य राजमार्ग और 2,06,318 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें सक्रिय हैं।

यह नेटवर्क न केवल राजस्थान के आंतरिक विकास को गति दे रहा है, बल्कि पड़ोसी राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों से निर्बाध संपर्क भी सुनिश्चित कर रहा है। राजस्थान की सड़क नीति केवल निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दृष्टिकोण व्यापक है – यह समाज विकास का माध्यम बन चुकी है। बेहतर सड़कें व्यापार, उद्योग, पर्यटन, कृषि और शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों के लिए आधारशिला सिद्ध हो रही हैं। गांवों से मंडियों तक उत्पादों की सुगम आवाजाही से किसानों की आमदनी बढ़ी है। उद्योगों और पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होने से निवेश और रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि सड़कें विकास की

सवालों के उत्तर मिलने चाहिए/सवाल कई हैं



रचना सिद्धा

पिछले दिनों दो खबरें प्रमुखता से अखबार में दिखाई और कई दिनों तक चली। न केवल प्रिंट मीडिया में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। आज इक्कीसवीं सदी के आधुनिक और सभ्य कहे जाने वाले समाज में दो बेमियां की जीवनलीला देखने के दानव ने संपादन कर दी। पहली खबर उत्तर प्रदेश की है और दूसरी खबर राजस्थान की। उत्तर प्रदेश में बेटी को जला कर मार डाला गया और राजस्थान में बेटी ने स्वयं आग लगाकर आत्महत्या कर ली और साथ में अपनी तीन साल की बच्ची को भी मार डाला। दोनों ही दुर्घटनाओं की विस्तृत छानबीन चल रही है। परंतु प्रथम दृष्टया दोनों ही मामले देहेज हत्या के बताए जा रहे हैं। इन दोनों दुर्घटनाओं के बारे में पढ़कर मन में कई तरह के सवाल उठते हैं।

पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दुर्घटना की। निक्की जिसकी मौत हुई उसकी बड़ी बहन की शादी भी उसी घर में हुई। दोनों बहन के साथ साथ

जेठानी देवरानी भी थीं। निक्की को सात साल का एक बेटा भी है। कहा जा रहा है कि निक्की को उसके बच्चे के सामने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। बच्चे ने भी पुलिस को बयान दिया है कि मम्मा को पापा ने लाट्टर से जला दिया। यह सब जब हो रहा था तब निक्की की सास भी अपने बेटे का साथ दे रही थीं। निक्की की बड़ी बहन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर उसे भी मारा पीटा गया। बड़ी बहन ने बताया कि निक्की के साथ देहेज को लेकर अक्सर पार पीट होती थी। शादी के समय लड़के वालों की हर फरमाईश पूरी की गई और शादी के बाद भी अक्सर उनकी मांग आती रही जिसे निक्की के माता पिता ने किसी भी तरह हिंसा और देहेज के मामले से 35 लाख रुपये लाने की बात कही जा रही थी। अब बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर जिले की जहां सरकारी स्कूल की एक व्याख्याता ने अपनी तीन साल की मासूम और अबोध बच्ची को गोले में बिठाकर अपने को आग के हवाले कर दिया। उस बच्ची को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां उसे गोद में क्यों बिठा रही थीं। संजू के पिता ओमपाम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए लिखा है कि संजू को देहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने कार के अलावा भी उनकी बहुत सी मांगें पूरी की थीं। लेकिन उनको साथ ही मांगों की सूची खत्म नहीं हो रही थी और इसके लिए संजू को प्रताड़ित किया जाता था। उनका कहना है कि बच्ची के जन्म के बाद स्थितियां और खराब हो गई थीं। पुलिस को भी संजू का

समाज की सोच को लेकर और कुछ सवाल पीह्र वालों के अपनी बेटियों के प्रति फिक्र को लेकर सहज ही उठ जाते हैं। शिक्षा क्या केवल कितानी ज्ञान देने का का नाम है। कहा जाता है शिक्षा से सबलता आती है पर दोनों ही स्थितियों में पढ़ी लिखी लड़कियां अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ी नहीं हो पाईं। या क्या सबलता का अर्थ लड़कियों का नौकरी पा लेना भर है? फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? क्यों शिक्षा ने उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना नहीं सिखाया। क्यों शिक्षा से उन्हें यह समझदारी नहीं मिल पाई कि देहेज और लड़कियों में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है? क्यों उन्हें देहेज विरोधी और घरेलू हिंसा विरोधी कानून के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई जिससे वे अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठा पातीं?

हम समाज क्या कहेगा इस बारे में बहुत सोचते हैं और समाज में आज भी लड़कियों को लेकर अलग विचार प्रचलित हैं। आज भी समाज में आमतौर पर लड़कियों को देहेज दर्जे का माना जाता है। हालांकि कई जगह स्थितियां बदल रही हैं इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता परंतु एक आम धारणा आज भी लड़कियों को ससुराल में समझौता करना ही सिखाती है ससुराल के लोगों के साथ निभाकर चलना ही सिखाती है। फिर इस निभाकर चलने में लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की बात कहीं पीछे छूट जाती है। देहेज हत्या के लिए ससुरालवालों के साथ साथ पीहर वाले भी उतने ही जिम्मेदार माने जाते

– रचना सिद्धा, लेखक

यूरिया खाद लेने किसानों की भीड़ उमड़ी

■ **सुबह से खाद के लिए कतार में खड़े लोगों का दोपहर तक नंबर नहीं आया, जिससे लोगों ने आक्रोश जताया, मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी**

समिति पर खाद की आपूर्ति पहुंचते ही किसानों की भीड़ लग गई। वहां सुबह 10 बजे तक करीब 300 से अधिक किसान लंबी कतारों में खड़े होकर

और किसानों के आक्रोश के बीच मौके पर मावली पुलिस भी आई। बाद में पुलिस और समिति कार्यचारियों ने मिलकर किसानों की शांति से खाद वितरण कराने की अपील की लेकिन किसानों ने कहा कि वे सुबह से आए और 11 बजे तक लेकिन उनको खाद नहीं मिली।

	मेघ आर्थिक –वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक़ा हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सम्भव है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढेंगी।		सिंह परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग सम्भव बना रहेगा। आठ परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।		धनु परिवार में मन को प्रन्न कराने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों-रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	वृष व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।		कन्या कन्या – विवाहित मामलों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।		मकर मकर – आर्थिक कार्यों से अटक़े हुए कार्य बनने लगेगे। अटक़ा हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर परिवार में सुख-सुविधाएं बढेंगी।
	मिथुन व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटक़ा हुआ धन प्राप्त होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ में सुधार होगा।		तुला तुला – व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच विचार हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण परिणाम मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।		कुंभ व्यावसायिक कार्यों के संबंध में करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य में सफलता से मोबल आत्मविश्वास बढेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।
	कर्क चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्य में व्यवधान हो सकता है। अटक़ा हुआ धन प्राप्त होगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बरते कार्य बिगड़ सकते हैं।		वृश्चिक घर परिवार में अस्थितियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढेंगी। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।		मीन घर-परिवार के कार्यों के कारण पाना-दौड़ रहेगी। परिवार में अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट “ आधार कार्डधारियों” को सीधे ही नागरिकता का अधिकार देने के पक्ष में नहीं लगता?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर उसके सम्मुख चल रही बहस के दौरान संकेत दिया, आधार कार्ड अपने आप नागरिक होने का अधिकार नहीं देता

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवंबर। आधार कार्ड प्राप्त करने में सफल रहे सुसर्पैठियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या एक गैर-नागरिक को आधार कार्ड होने पर मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आधार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक कल्याण लाभ सभी तक पहुंचे, और यह दस्तावेज स्वचालित रूप से मतदान का अधिकार नहीं प्रदान कर सकता।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत कई राज्यों में मतदाता सूची की समीक्षा करने के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि आधार

■ “आधार कार्ड” का सीमित मकसद था, कुछ सरकारी सुविधाएं, जैसे राशन उपलब्ध कराना। अगर किसी पड़ोसी देश से कोई भारत आता है, मजदूरी करने, तो उसे राशन की सुविधा, मानवीय कारणों से दी जाती है, पर, क्या उसे यह सुविधा देने का अर्थ उसे नागरिकता देना भी हो जाता है।

■ कपिल सिब्बल ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि न्यायालय का फोकस, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए, न कि प्रक्रिया की शुद्धता। सिब्बल ने आगे कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण तो नहीं, पर, आधार कार्ड से संभावना मेरे पक्ष में है कि मैं नागरिक हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। अगर इस कारण मुझे नागरिकता मिल सकती है, अगर गलत मिली है तो सरकार यह साबित करे, न्यायिक प्रक्रिया से, तथा तभी मेरी नागरिकता रद्द की जा सकती है।

कार्ड “नागरिकता का पूर्ण प्रमाण” नहीं है। बैंच ने कहा, “इसलिए हमने कहा था

हटाया जाता है, तो उसे हटाने का नोटिस दिया जाएगा।”

आधार अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि यह नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “आधार एक वैधानिक दस्तावेज है, जिसे लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति को राशन पाने के लिए आधार दिया गया है, क्या उसे मतदाता भी बना दिया जाना चाहिए? मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ोसी देश का है और श्रमिक के रूप में काम करता है।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को उस दस्तावेज की प्रमाणिकता का निर्धारण करने का अधिकार है, जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग “पोस्ट ऑफिस” नहीं है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम में बहुविवाह पर रोक लगी

गुवाहटी, 27 नवंबर। असम विधानसभा ने गुरुवार को एक अहम बिल पास किया है, जिसके तहत अब राज्य में बहुविवाह (एक से ज्यादा शादी) करना कानूनी अपराध होगा।

■ असम विधानसभा ने गुरुवार यह बिल पास किया।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि इस नए कानून का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करना है।

बिल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है, तो यह अपराध माना जाएगा।

इस “असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी” बिल 2025 में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही, पीड़ित महिला को मुआवजा देने का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपभोक्ता आयोग ने शाहरुख, देवगन, टाइगर श्रॉफ, अमायरा से जवाब मांगा

जयपुर, 27 अक्टूबर। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम द्वितीय ने, “विमल गुटखे के दाने-दाने में केसर का दम” बताकर इसका भ्रामक विज्ञापन करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री अमायरा दस्तूर, अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ सहित, विमल गुटखा ब्रांड के निर्माता जेबी इंडस्ट्रीज से जवाब तलब किया है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी

■ आरोप है कि चारों ने विमल गुटखे में “केसर बादाम” बताकर भ्रामक प्रचार किया।

लाल मीणा ने यह आदेश गौरव तिवाड़ी के परिवाद पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया।

परिवाद में कहा गया कि जेबी इंडस्ट्रीज विमल गुटखे का निर्माण कर उसे देशभर में विक्रय करने के लिए सप्टाई करती है और तीनों अभिनेता व अभिनेत्री इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इसका विज्ञापन करते हैं। परिवाद में कहा गया कि विज्ञापन में बताया जाता है कि इसमें केसर का मिश्रण है, जबकि सच्चाई यह है कि केसर की कीमत करीब चार लाख रुपए प्रति किलोग्राम है और यह गुटखा पांच रुपए में आता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या बुलेट ट्रेन प्रोजैक्ट में जापान पर निर्भरता कम करना चाहता है रेलवे

जापान लीकी केबल सिस्टम और शिकान्सेन रैक्स के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, जबकि रेलवे उसके सस्ते विकल्प तलाश रहा है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवम्बर। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2027 तक मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (एमएचएसआर) परियोजना के तहत सूरत से वापी खंड में 100 किलोमीटर की दूरी पर 250 किमी/घंटा की गति से विश्वसनीयता, उपलब्धता, रखरखाव और स्थिरता का परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह कहा था, “508 किलोमीटर लंबे गलियारे की पूरी लंबाई 2029 में शुरू हो जाएगी, जिससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा का समय घटकर 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा।”

भारत के पहले हाई-स्पीड रेल गलियारे के लिए लोक निर्माण कार्य प्रगति पर है। नागरिक कार्यों की प्रगति हो रही है। हालांकि, जापान और भारत

स्पीकर का पद भी छीना भाजपा ने नीतीश से

शपथ ग्रहण के बाद भाजपा ने नीतीश को लगातार दूसरा झटका दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवंबर। बिहार के सत्ता गलियारों में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर अपना दबदबा मजबूत कर लिया है। जेडीयू से अति महत्वपूर्ण गृह विभाग छीनने के बाद, भाजपा ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्पीकर पद छोड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया है, जो कि शपथ ग्रहण के बाद उनके लिये दूसरा बड़ा झटका है।

नव-निर्वाचित बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा, जब सभी 243 विधायकों को जेडीयू के प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव शपथ दिलायेंगे। प्रारंभिक औपचारिकताओं के 2 दिसंबर तक समाप्त होने के साथ ही, नये स्पीकर का चुनाव होगा, जो भाजपा के पक्ष में एकतरफा प्रतीत हो रहा है।

भाजपा ने पहले ही गया के 9 बार के विधायक और वरिष्ठ दलित नेता प्रेम कुमार का नाम इस प्रतिष्ठित पद के लिए प्रस्तावित कर दिया है। उनके नाम की औपचारिक घोषणा सत्र के दौरान प्रोटेम स्पीकर द्वारा की जा सकती है। यदि चुनाव होता है, तो अगले दिन

■ एक दिसंबर को जद (यू) विधायक नरेन्द्र नारायण यादव प्रोटेम स्पीकर के रूप में विधायकों को शपथ दिलाएंगे और उसी समय नए स्पीकर के नाम की घोषणा करेंगे। अगर कोई प्रतिद्वंदी नहीं हुआ तो वे निर्विरोध स्पीकर घोषित कर दिए जाएंगे। भाजपा ने इस पद के लिए वरिष्ठ दलित नेता प्रेम कुमार का नाम आगे किया है।

■ आंतरिक सूत्रों ने बताया कि नीतीश पर केन्द्र का भारी दबाव है, फिलहाल वे “वेट एण्ड वॉच” की नीति पर चल रहे हैं।

■ इस बार स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री भले ही नीतीश हों, पर सरकार पर नियंत्रण भाजपा का ही होगा।

मतदान कराया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि जेडीयू अब इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है।

अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, केन्द्र के जबरदस्त दबाव के कारण नीतीश कुमार ने भाजपा से आगे टकराव से बचने के लिए “प्रतीक्षा करो और देखो” की रणनीति अपनाई है। गृह विभाग छिन जाने और अब स्पीकर पद भी जाता हुआ दिखाई देने की स्थिति में, गठबंधन में

जेडीयू की सौदेबाजी की ताकत बहुत कम हो गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में सत्ता का संतुलन निर्णायक रूप से बदल चुका है। नीतीश मुख्यमंत्री भले ही बने रहें, लेकिन अब प्रशासनिक फैसले भाजपा नेतृत्व द्वारा, खासकर दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त करके ही, लिए जाएंगे।

स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाजपा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास तैयार है प्लान बी

अगर नेतृत्व ने उन्हें बदलने या डीके शिवकुमार को लाने के संकेत दिए तो.....

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवम्बर। कांग्रेस के भीतर ‘लीडरशिप गैप्स’ का कर्नाटक संस्करण गुरुवार को तेज हो गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का खेमा अब पूरी तरह सतर्क है और जरूरत पड़ते ही दिल्ली पहुंचकर पार्टी पर दबाव बनाने की तैयारी में है कि शीर्ष पद पर वही बने रहें। इस सप्ताह उन्होंने पार्टी में पैदा हुई ‘उलझन’ को स्वीकार किया था और कहा था कि पार्टी को अब इस पर ‘पूर्ण विराम’ लगा देना चाहिए। इसके बाद सूत्रों का कहना है कि वे ‘वेट-एंड-वॉच’ मोड में हैं।

सूत्रों का कहना है कि यदि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से जरा भी संकेत मिला कि उनके प्रतिद्वंद्वी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार , जो सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री पद के प्रति झुकाव को नकार चुके हैं, को आगे

■ सूत्रों का कहना है कि आलाकमान ने अगर नेतृत्व परिवर्तन के संकेत दिए तो सिद्धारमैया विकल्प के रूप में अपने करीबी का नाम आगे कर सकते हैं, जैसे जी. परमेश्वरा, जो एक प्रभावशाली दलित नेता हैं और खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ मे बता रहे हैं।

■ बताया जाता है कि यह रणनीति पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली, जो सिद्धारमैया समर्थक हैं, के घर पर बनाई गई है।

■ हालांकि, डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए खुलकर कोई जिज्ञासा जाहिर नहीं की, पर, वे पुराने वादे पूरे करने की बात कर रहे हैं, जिसमें यह वादा भी शामिल है कि सिद्धारमैया ढाई साल बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और डीकेएस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।

बढ़ाया जा सकता है, तो सिद्धारमैया के समर्थक तुरंत सक्रिय हो जाएंगे।

सूत्रों ने कहा, और यदि पार्टी नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने पर फिर भी

अड़ती है, तो सिद्धारमैया खेमे की योजना है कि नामों की एक वैकल्पिक सूची पार्टी के समक्ष सामने रखी जाए। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईडी ने कई राज्यों में मेडिकल कॉलेजों पर छापे मारे

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़े भ्रष्टाचार घोटाले के सिलसिले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ , गुजरात, राजस्थान, बिहार,

■ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अधिकारियों को गोपनीय निरीक्षण पर रिश्तत देने के मामले में यह कार्यवाही हुई।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह छापेमारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गयी है। सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार साह -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। वरिष्ठ अधिकारियों और स्वयं वाणिज्य मंत्री द्वारा यह उम्मीद जताने के बावजूद, कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता लगभग तय होने वाला है, बातचीत में दोनों पक्षों को कोई असली कामयाबी नहीं मिल पा रही है। सच्चाई यह है कि कई गहरे मतभेद दोनों देशों के बीच बड़ी बाधा बने हुए हैं। दोनों पक्ष शुरुआती समझौते को अंतिम रूप देने की इच्छा जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर मतभेद कायम हैं, उन्हें देखते हुए कोई भी समझौता सीमित दायरे वाला ही होगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से

संवेदनशील मांगों पर कितना समझौता करने को तैयार हैं।

सबसे बड़ी रुकावट कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, खासकर अमेरिका से मक्का, सोयाबीन, कुछ अनाज और डेयरी उत्पादों के आयात को लेकर। अमेरिका चाहता है कि इन पर शुल्क कम हो और डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, सेब, मेवे, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (प्रोसेस्ड फूड्स) और एथेनॉल जैसे उत्पादों को भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच मिले। वहीं भारत के लिए कृषि, विशेषकर डेयरी, खाद्यान्न और जीएम फसलें, एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। भारत का तर्क है कि सस्ते और सस्बिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पाद छोटे किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खाद्य सुरक्षा पर असर डाल सकते हैं

■ कृषि उत्पाद व डेयरी प्रोडक्ट्स पर मतभेद अभी भी उसी स्थिति में हैं, जो बातचीत के प्रथम दिवस से था।

■ अमेरिका चाहता है, डेयरी, खाद्यान्न के बेचने के लिए उसे खुली छूट मिले। पर, डेयरी प्रोडक्ट्स उन मवेशियों के दूध से तैयार किये जाते हैं, जो पशु बाय प्रोडक्ट्स मिश्रित चारे पर पले होते हैं। अतः भारत की आम जनता सांस्कृतिक (कल्चर) कारणों से इन डेयरी प्रोडक्ट्स को स्वीकार नहीं करेगी। पर, ये डेयरी प्रोडक्ट्स काफी सस्ते होंगे और इजाजत मिली तो भारत के मार्केट पर कब्जा कर लेंगे तथा भारत में छोटे-छोटे सहकारी प्रयासों से चल रहा डेयरी उद्योग चौपट हो जाएगा।

और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं।

सांस्कृतिक और खान-पान की

आदतों की वजह से डेयरी आयात का मुद्दा खास तौर पर संवेदनशील है, और क्योंकि भारतीय डेयरी कोऑपरेटिव

और छोटे डेयरी किसान घरेलू रैगुलेटरी और टैरिफ रुकावटों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। भारत ने हमेशा व्यापार समझौतों में डेयरी क्षेत्र को उदारीकरण से बाहर रखा है और इस बार भी यही रुख कायम है। अमेरिकी डेयरी उत्पादों, खासकर जानवरों के बाय-प्रोडक्ट या जी.एम. कंटेंट वाले चारे पर पलने वाले मवेशियों से बने प्रॉडक्ट्स के लिये अपने बाजार खोलना, लोगों के साथ-साथ, रैगुलेटरी चिंताओं को भी बढ़ाता है।

कृषि और डेयरी के अलावा भी, कई क्षेत्र विवाद का कारण बने हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत ऑटोमोबाइल (विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन), चैटोकेमिकल और कुछ अन्य औद्योगिक उत्पादों पर शुल्क कम करे।

इसके बदले भारत उम्मीद करता है कि अमेरिका इस्पात, एल्यूमिनियम, ऑटो-पुर्ज, इंजीनियरिंग सामान और वस्त्र, चमड़ा, रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान भारतीय उत्पादों पर लगाए गए भारी शुल्क में राहत दे।

रुकावटों में रैगुलेटरी और नॉन टैरिफ रुकावटें भी खास तौर पर शामिल हैं। भारत अपनी रैगुलेटरी ऑटोनोमी बनाए रखना चाहता है, जिसमें, खेती और खाने के इंपोर्ट के लिए क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तथा जी.एम. प्रॉडक्ट पर रोक शामिल है। लेकिन अमेरिका अपने एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा आसान, ज्यादा सरल ट्रेड और कम रैगुलेटरी रुकावटों के लिए जोर दे सकता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ एजेंसी का दावा है कि वानी ने आतंकवादी गतिविधियों के लिये ड्रोन में टैक्निकल बदलाव किये।

एक स्पेशल कोर्ट ने वानी को सात दिन की हिरासत में भेजने का फैसला किया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड के रहने वाले वानी को एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि वानी ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए ड्रोन में टैक्निकल बदलाव किए और रॉकेट बनाने की भी कोशिश की, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

480 दिन के लम्बे इन्तजार के बाद भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा

पुराने कार्यकर्ताओं के स्थान पर नए लोगों को मिली जगह

—कार्यालय संवाददाता—
जयपुर। प्रदेश भाजपा ने लम्बे इन्जार के बाद अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बनने के 480 दिन बाद प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस कार्यकारिणी में कुल 34 नाम शामिल हैं।

कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सहकोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, आईटी व सोशल मीडिया प्रभारी सहित कार्यालय सचिव की घोषणा की गई है। इस कार्यकारिणी में दो विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया है जबकि मुख्य टीम में विधायक व सांसदों को शामिल नहीं किया है। इससे ऐसा माना जा रहा है कि विधायक और सांसदों को राजनीतिक नियुक्तियों में जगह दी जाएगी, जबकि प्रदेश की कार्यकारिणी में भाजपा के

- कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सहकोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, आईटी व सोशल मीडिया प्रभारी सहित कार्यालय सचिव बनाए गए हैं।
- इस कार्यकारिणी में दो विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि मुख्य टीम में विधायक और सांसदों को शामिल नहीं किया है।

कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। हालांकि पिछली कार्यकारिणी में सांसद और विधायकों को प्रदेश टीम में शामिल किया गया था। प्रदेश भाजपा की इस नई टीम में वरिष्ठ लोगों को दरकिनार करके नए लोगों को शामिल किया है। इस कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित

तीनो केंद्रीय मंत्रियों सहित कुछ संघ से जुड़े लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया है। मदन राठौड़ की प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पहले 10 उपाध्यक्ष काम कर रहे थे। उपाध्यक्ष में 6 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। जिनमें पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टोटी, बिहारीलाल विश्नोई, छगन माहुर, हकरू माईडा, अल्का मुन्दडा और सरिता गेना उपाध्यक्ष के रूप में नए चेहरे

शामिल किए गए हैं। वहीं नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच, डॉ. ज्योति मिर्षा को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह मौजूदा कार्यकारिणी में भी उपाध्यक्ष थे। इसके साथ ही विधायक (तिजारा) बाबा बालकनाथ, सरदार अजयपाल सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, राज्यसभा सांसद चुशीलाल गरसिया, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व सांसद सीआर पाटिल और मोतीलाल मीणा को कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है।

मदन राठौड़ ने अपनी टीम में महामंत्रियों की संख्या भी कम की है। मौजूदा कार्यकारिणी में 5 महामंत्री काम कर रहे थे। नई कार्यकारिणी में 4 महामंत्री बनाए गए हैं। इनमें भी पिछली कार्यकारिणी के महामंत्रियों में से केवल एक को रिपीट किया गया है। ये श्रवण सिंह बागड़ी हैं। चार को बाहर कर दिया गया है।

इनके अलावा कैलाश मेघवाल, भूपेन्द्र सैनी और मिथिलेश गौतम को महामंत्री बनाया गया है। विधायक जितेन्द्र गोठवाल, सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व सांसद संतोष अहलावत और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाणा को बाहर किया गया है। नई टीम में मौजूदा टीम में काम कर रहे नेताओं में कुछ को प्रमोट भी किया गया है।

मौजूदा कार्यकारिणी में मंत्री रहे भूपेन्द्र सैनी और मिथिलेश गौतम को प्रमोट करके महामंत्री बनाया गया है। एससी मोर्चे के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को प्रमोट करके प्रदेश कार्यकारिणी में महामंत्री और एसटी मोर्चा के अध्यक्ष नारायण मीणा, ओबीसी मोर्चा की टीम से सीताराम पोसवाल को प्रदेश मंत्री बनाकर प्रमोट करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी में मंत्री बनाया गया है।

भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने की मुख्यमंत्री से मुलाक़ात



जयपुर। प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीएमओ में मुलाक़ात की। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इन पदाधिकारियों में प्रदेश महामंत्री श्रवण बागड़ी, भूपेन्द्र सैनी, मिथिलेश गौतम एवं प्रदेश मंत्री अजीत मांडण, अपूर्वा सिंह

एकता अग्रवाल, नारायण मीणा, प्रवक्ता स्टेफ़ी चौहान एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक शामिलित थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी पदाधिकारियों से पार्टी की बृथ स्तर पर मजबूती लेने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार की शानदार योजनाओं को लाभार्थियों और

आमजन तक पहुंचाएं और इसकी कार्ययोजना बनाएं। करीब 45मिनट की मुलाक़ात में मुख्यमंत्री ने सभी को मिठाई खिलाकर बधाई दी। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से नियुक्त हुए पदाधिकारियों को आम कार्यकर्ता एवं आम जनता के बीच में रहने की सलाह भी दी।

लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर जवाब मांगा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती में लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद अथ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और आरपीएससी से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पंजब कुमार सैन की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 1 सितंबर, 2023 को कॉलेज शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की भर्ती निकाली थी। जिसके भर्ती विज्ञापन में शर्त रखी गई की शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुआ या होने वाला अथ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे साक्षात्कार के समय संपूर्ण पात्रता अर्जित करने का साक्ष्य देना होगा। याचिका में कहा गया कि आवेदन करते समय याचिकाकर्ता अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला था और साक्षात्कार से पूर्व उसने तय संपूर्ण पात्रता हासिल कर ली है। इसके बावजूद भी उसे साक्षात्कार में शामिल नहीं किया गया और चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। ऐसे में उसे पात्र मानने हुए साक्षात्कार में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

कांस्टेबल गिरफ्तार

जयपुर। प्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भिवाड़ी टीम ने पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपूतली-बहरोड के पुलिस कांस्टेबल प्रवीण बागोरिया को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी भिवाड़ी टीम को परिवादी ने शिकायत की कि उसके भाई का पुत्र व पुत्री गंगाल चौधरी से घर आ रहे थे। तब उनके आगे चल रही अन्य गाड़ी को ओवरटेक करते समय उसके खरोंच आ गई।

उर्वरकों की कालाबाजारी व अवैध भंडारण करने वालों के लाइसेंस रद्द करें : मुख्यमंत्री

जयपुर (कास)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी वर्षा होने से किसानों ने रबी फसलों की अग्रिम बुवाई की है। उन्होंने कहा कि किसानों की उर्वरक की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है तथा किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रबी सीजन – 2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति एवं वर्तमान उपलब्धता की स्थिति को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता को उर्वरक की उपलब्धता की नियमित जानकारी दी जाए तथा विश्वास दिलाया जाए कि उन्हें सरकार समय पर पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उर्वरक की आपूर्ति संबंधी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई तृतीय श्रेणी भर्ती-2018 से जुड़े मामले में उन अथ्यर्थियों को भी पात्र माना है, जिन्होंने तीन साल वाला बीपीएड कोर्स कर रखा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए अपीलार्थियों को दो माह में समस्त परिराला सहित नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। एंक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विमला देवी व 6 अन्य अपीलों पर संयुक्त रूप से

सुनवाई करते हुए दिए।अपील में अधिवक्ता आरडी मीणा और अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने साल 2018 में पीटीआई तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें याचिकाकर्ता मेरिट में आए थे, लेकिन उन्हें एक साल के बजाए तीन साल का बीपीएड योग्यता रखने के आधार पर चयन से बाहर कर दिया था। इस पर एकलपीठ में याचिका दायर की गई थी। जिसे एकलपीठ ने 2013 में खंडपीठ की ओर से दिए एक आदेश का हवाला देते हुए खारिज कर

दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि साल 2014 में एनसीटीई ने एंक्टिंग तृतीय श्रेणी के पदों पर पीटीआई तृतीय श्रेणी भर्ती के लिए तीन साल के बीपीएड पाठ्यक्रम करने वालों को भी पात्र माना है। इस परिपत्र में राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर संशोधन की नहीं किया है और यह वर्तमान में भी प्रभावी है। अपील में कहा गया कि एनसीटीई शैक्षणिक पाठ्यक्रम तय करने की विशेषज्ञ और सर्वोच्च संस्था है। इसके अलावा एकलपीठ में सुनवाई के समय एनसीटीई ने अपने जवाब में

याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के लिए पात्र माना था। ऐसे में उन्हें पीटीआई भवन “ब्लॉक बी” का लोकार्पण देा जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 में तीन साल वाले बीपीएड योग्यता वालों की पीटीआई ग्रेड 3 के लिए पात्र नहीं माना गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एकलपीठ का आदेश रद्द कर अपीलार्थियों को समस्त परिराला सहित दो माह में नियुक्ति देने को कहा है।

“सहकार गैलेरी” में दिखेगी सहकारी आंदोलन यात्रा की आकर्षक झलक

जयपुर (कास)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने गुरुवार को राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान (राइसेम) परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत स्थापित की गई सहकार गैलेरी का फीता काटकर उद्घाटन

- सहकारी आन्दोलन की गौरवशाली यात्रा और उपलब्धियों को आकर्षक रूप में किया गया प्रदर्शित

किया। उन्होंने गैलेरी का अवलोकन कर प्रदर्शित की गई जानकारी की सराहना की। सहकारिता विभाग द्वारा एनसीसीएफ के सहयोग से स्थापित की गई सहकार गैलेरी में सहकारी आन्दोलन की यात्रा को आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया गया है। दक ने इस अवसर पर कहा कि सहकारिता की गौरवशाली यात्रा को दर्शाती यह गैलेरी अगनुत्कों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यहां प्रदर्शित सामग्री न केवल सहकारिता के इतिहास, उपलब्धियों और नवाचारों को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि



सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सहकार गैलेरी का उद्घाटन करने के बाद इसका अवलोकन किया।

कैसे छोटे-छोटे सामूहिक प्रयासों से बड़े सामाजिक परिवर्तन संभव है। सहकार गैलेरी में सहकारिता से जुड़ी जानकारी को क्लिप बोर्ड्स, एंफ़ेलिक शीट्स, विनायस प्रिन्ट, फोटो फ्रेम्स एवं डिजिटल स्क्रीन्स के माध्यम से आकर्षक रूप में राजस्थानी संस्कृति की थीम पर प्रदर्शित किया गया है। गैलेरी के एक भाग में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का परिचय एवं सिद्धान्त, सहकारिता के सिद्धान्त एवं उद्देश्य तथा विशिष्ट व्यक्तियों के

उद्धरणों को प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह अन्य एक भाग में सहकारिता के उद्भव एवं विकास से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित की गई है, जिसमें प्राचीन भारतीय लोकाचार में सहकारिता के बीज, विश्व में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, भारत में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता पश्चात् सहकारी विधि का विकास की जानकारी शामिल है।

बर्खास्तगी के खिलाफ विभागीय अपील 14 साल लंबित रखना दुखद

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी के बर्खास्तगी आदेश की विभागीय अपील को 14 साल में भी तय नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने जेबीवीएनएल को कहा है कि वह एक माह में अपील का निस्तारण करे। वहीं अदालत ने जेबीवीएनएल पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए दो सप्ताह में हर्जाना राशि याचिकाकर्ता को अदा करने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश महेश कुमार सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक विधवा अपने पति की बर्खास्तगी के खिलाफ साल 2011 में पेश विभागीय अपील के निपटारे की प्रतीक्षा कर रही है।

24 तीर्थकरों ने मानव जाति को दिखाया सही मार्ग : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परम पुण्य सुंदर सागर महाराज ज्ञान और अहिंसा का दीपक जलाते हुए समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उनका जीवन त्याग, तपस्या और करुणा का अद्भुत समन्वय है। हमारी सरकार सभी धर्मों के विकास और संरक्षण के लिए समर्पित है। उन्होंने आमजन से आन्धान किया कि वे जैन मुनियों के उपदेशों को न केवल सुनें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारें। शर्मा गुरुवार को सांगानेर कैम्प कार्यालय में आयोजित आचार्य सुंदर सागर महाराज की दिव्य देशना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इस धर्म के 24 तीर्थकरों ने समय-समय

पर मानव जाति को सही मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ‘अहिंसा परमो धर्म’ है। ये एक वाक्य नहीं बल्कि सम्पूर्ण जीवन दर्शन है। आज पूरी दुनिया हिंसा से जूझ रही है और जैन धर्म का यह संदेश वर्तमान परिवेश में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी संतों की पद चरंचा करते हुए उनका हाथ थामे एसएफएस मानसरोवर स्थित आदिनाथ मंदिर से सांगानेर कैम्प कार्यालय के कार्यक्रम में लेकर आए। इस दौरान मार्ग में पुष्प वर्षा एवं बैड वादन कर उनका स्वागत-अभिर्नंदन किया गया। कार्यक्रम में शर्मा को ‘मातृ भू सेवक’ की मानद पदधि से अलंकृत भी किया गया।

कॉमर्स कॉलेज में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया



जयपुर (कास)। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉमर्स कॉलेज में गुरुवार को नवनिर्मित भवन “ब्लॉक बी” का लोकार्पण राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने किया। समारोह की शुरुआत अतिथि सत्कार, राष्ट्रगान एवं विश्वविद्यालय के कुलगीत से हुई।

राज्यपाल ने कहा कि, शिक्षा में स्थापत्य कला का महत्व होता है। इस दृष्टि से वाणिज्य महाविद्यालय (कॉमर्स कॉलेज) के नवनिर्मित भवन का अल्पत महत्व है। वाणिज्य, व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें बैंकिंग, वित्त, वित्तापन, प्रबन्धन आदि आते हैं। वाणिज्य से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है तथा ध्यान से काम करने की आदत बनती है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डाला तथा कहा कि 1835-36 में अंग्रेजों द्वारा दी गयी शिक्षा नीति में

बदलाव कर अब शिक्षा में भारतीयता पर जोर दिया जा रहा है।

विनोबा भावे का नामोल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी के साथ ही भारतीय शिक्षा नीति अपनानी चाहिए थी इसके साथ ही उन्होंने लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गयी शिक्षा नीति की आलोचना भी की। उन्होंने उद्बोधन में प्राचीन भारतीय शिक्षा केन्द्रों नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें अपने विश्वविद्यालय को इनसे भी आगे ले जाने की आवश्यकता है। प्राचीन ज्ञान परम्परा पर बल देते हुए उन्होंने मनोज कुमार, अभिनीत फिल्म पूर्व-पश्चिम के गाने “जब जौरो दिया मेरे भारत ने, दुनियां को तब गिनती आयी” के माध्यम से कहा कि हमने अपनी संस्कृति और शिक्षा पद्धति से पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है।

5.44 करोड़ की बकाया लीज प्रकरण में नीमराना डवलपर्स को जेडीए ट्रिब्यूनल से नहीं मिला स्थगन

जयपुर (कास)। जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) ट्रिब्यूनल ने मैसर्स नीमराना डवलपर्स को 5.44 करोड़ रु. की बकाया लीज राशि जमा नहीं करवाने के मामले में अंतरिम स्टू देने से इनकार कर दिया है।

इस प्रकरण में बिल्डर की ओर से अधिवक्ता एस.एस.सोलंकी ने दलील दी थी कि, उनके मुक्बिल के एयरपोर्ट प्लाजा में भूखंड संख्या 1 की 8236.47 वर्गमीटर जमीन जेडीए से नीलामी में खरीदी थी। इस जमीन पर बनाए गए 207 फ्लैट्स में से उसने 165 फ्लैट्स लोगों को बेच दिए हैं, 25 फ्लैट्स पर इंटीरियर का काम चल रहा है। ऐसे में उससे सिर्फ उन्हीं फ्लैट्स की लीज राशि वसूली जानी चाहिए, जो उसके पास बचे हुए हैं। परंतु गत 14 नवंबर 2025 को जेडीए ने डवलपर को नोटिस देकर

- जयपुर विकास प्राधिकरण ने गत 14 नवंबर को बिल्डर को नोटिस थमाकर कुर्की की चेतावनी दी थी

5.44 करोड़ रुपए की बकाया लीज राशि जमा करवाने का नोटिस दिया और संपत्ति कुर्क की चेतावनी दी। जबकि राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग ने 19 फरवरी 2020 को आदेश जारी किया था कि, भवन निर्माता द्वारा फ्लैट्स को अलग-अलग लोगों को बेचने के बाद क्रेता द्वारा ही लीज राशि चुकायी जायेगी। बिल्डर ने वर्ष 2016 में भूखंड आवंटन से लेकर वर्ष 2021 तक की बकाया लीज राशि जेडीए को जमा

करवा दी थी, परंतु जेडीए प्रशासन अब यह संपूर्ण राशि डवलपर से लेना चाहता है।

बिल्डर की इस दलील का विरोध करते हुए जेडीए के अधिवक्ता अमित कुंडी ने कहा कि, यह पूरी कार्रवाई भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 64-ए के तहत की जा रही है। ऐसी स्थिति में जेडीए ट्रिब्यूनल के पास हस्तगत मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। वहीं बिल्डर ने यह भी नहीं बताया है कि उसने 165 फ्लैट्स कब-कब और किस तारीख पर लोगों को बेचे हैं। ऐसे में क्रेताओं पर लीज राशि की गणना किस प्रकार हो सकेगी।

पूरे प्रकरण को सुनने के बाद जेडीए ट्रिब्यूनल ने इस मामले में बिल्डर को अंतरिम स्टू देने से इनकार कर दिया।

ज्वैलर्स की दुकान में हुई 38 लाख की लूट का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी से कुछ ज्वैलरी भी बरामद की, दो बदमाशों की तलाश जारी

अलवर, (निसं)। अलवर में ज्वैलर की दुकान में घुसकर 38 लाख रुपए के जेवर लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे जिला अस्पताल में मेडिकल कराने लाया गया तो तीन पुलिसवालों ने कार से उतारा। अस्पताल के अंदर मेडिकल कराने ले जाया गया।

अलवर एसपी ने बताया कि एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया। आरोपी सागर उर्फ संजय यादव निवासी इस्माईलपुर पुलिस थाना बाबली जिला झुज्जर हरियाणा का निवासी है। उससे कुछ ज्वैलरी भी बरामद की है। तीनों बदमाश हरियाणा के झुज्जर के आसपास के हैं। लूट की वारदात कर वापस वहीं निकल गए थे। अभी पुलिस को दो बदमाशों की तलाश है।

डोडा-पोस्ट समेत एक गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शहर की चौपासी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने डीपीएस सफल के पास नाकाबंदी में सीमेंट के कट्टों से भरे ट्रेलर को रूकवाया। गाड़ी की तलाशी में कुछ नहीं मिला मगर चालक के पास से दो किलो अवैध डोडा-पोस्ट मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने यह डोडा-पोस्ट खुद के उपयोग के लिए लाना बताया। थानाधिकारी ईश्वर चंद पारिक ने बताया कि नाकाबंदी में एक सीमेंट से लदे ट्रेलर को रूकवाया गया। चालक के पास से दो किलो डोडा-पोस्ट मिला। इस पर सहयोग विश्रौई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया।

किशोरी से दुष्कर्म

बीकानेर, (निसं)। 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी फरार है, जिसे कोर्टोट थाना पुलिस तलाश रही है। पीड़िता की मां की ओर से पुलिस को दो नोट रिपोर्ेट में बताया गया है कि वह अपने पुत्र और नाबालिग पुत्री के साथ रहती है। आरोपी अशोक वेटर टेकदार है और पुत्र उसके साथ काम करता है। करीब 25 दिन पहले अशोक उसकी पुत्री को महला-फुसलाकर अपने कमरे पर ले गया और दुष्कर्म किया।

■ हथियार दिखाकर तीन बदमाश ज्वैलरी की दुकान से 38 लाख के जेवरात लूट कर फरार हो गये थे, पांच दिन से पुलिस तलाश कर रही थी

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 नवंबर को दोपहर तीन बजे अलवर शहर के तिजारा रोड पर मोहनलाल सोनी की दुकान राधा ज्वैलर्स में घुसकर हथियारों के दम पर 38 लाख रुपए के जेवर लूट ले गए थे। एक बाइक पर तीन बदमाश आए थे। एक ने हेलमेट लगा रहा था। दो ने मुंह को ढका हुआ था। पहले एक बदमाश दुकान में गया। इसने जाते ही मोहनलाल के गले पर दरंगी लगा दी थी। दूसरा बदमाश तिजोरी की

तरफ गया। तिजोरी से जेवर अपने बैग में भरने लगा। तीसरा बदमाश बाहर कट्टा लेकर खड़ा रहा। बीच में कुछ सेकेंड तीसरा बदमाश भी दुकान के अंदर गया। उसने सोनी के साथ मारपीट भी की। करीब 1 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर बाइक से चिकानी रोड की तरफ भाग गए थे। अब 5 दिन बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। व्यापारी से मारपीट कर दुकान की तिजोरी से करीब 38 लाख रुपए के जेवर लूटने वाले एक बदमाश को 5

दिन में पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी दो फरार हैं। इस मामले को लेकर 5 दिन से व्यापारी वर्ग में रोष था। दो दिन पहले जल्दी बदमाशों के अरेस्ट नहीं होने पर अलवर बंद का आह्वान किया था। एक दिन दो घंटे सर्राफा बाजार बंद रखा गया था। **करंट लगने से किसान की मौत** : डूंगरपुर के धंभोला थाना क्षेत्र के बासिया मालीफला में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। किसान में गेहूं की फसल को पानी देने गया था। बोरवेल की मोटर के पास करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बेटी अपने पिता को देखने पहुंची तो वे मृत हालत में मिले।

धन्बोला थाना हेड कॉनि. सोहनलाल ने बताया कि जयंती उत्तर

घना ताबियाड की करंट लगने से मौत हो गई है। जयंती बुधवार देर शाम को खेतों में गेहूं की फसल को पानी देने गया था। खेतों में बोरवेल के पास ही स्टार्टर भी लगा हुआ था। करंट लगने से जयंती ताबियाड बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। देर तक पिता वापस घर नहीं आए तो बेटी रविना पिता को देखने खेतों की तरफ गई। बोरवेल के पास ही पिता बेहोश हालत में पड़े हुए मिले। रविना ने चिल्लाकर लोगों को बुलाया, लेकिन जयंती की मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर धंभोला थाने से हेड कॉनि. सोहनलाल, रोशन और विनोद की टीम पहुंची। घटना की जानकारी लेने के बाद शव को सीमलवाडा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया।

आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और प्रभारी जमानती वारंट से तलब

अवमाननाकर्ता को 50 -50 हजार के जमानती वारंट से 29 दिसंबर को आयोग को समक्ष तलब किया

■ हाईकोर्ट और आयोग के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना कर अवमानना करने पर अवमाननाकर्ता के खिलाफ यह आदेश जारी किया

अदा करने के आदेश दिए, जिसके खिलाफ बीमा कंपनी की अपील पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने 16 अप्रैल 2024 को स्थगन आदेश जारी कर दिया। प्रार्थी की रिट याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गत 14 जनवरी को 50 फीसदी राशि का भुगतान 31 मार्च तक प्रार्थी को अदा करने का आदेश दिया। बीमा कंपनी को उसे राशि वमा नहीं करने पर 12 अगस्त को खंडपीठ ने बीमा कंपनी को दो सप्ताह में आदेश की पालना करने के निर्देश दिया और इसके अभाव में प्रार्थी को विपक्षी को खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की छूट प्रदान की। 9 सितम्बर को विपक्षी के यह कहने पर

कि उन्होंने गलत जगह का ड्राफ्ट बना दिया था, खंडपीठ ने विपक्षी को सही डिमांड ड्राफ्ट दो सप्ताह में 15 हजार की कॉस्ट के साथ जमा कराने का आदेश दिया। अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि विपक्षी ने न्यायालय के किसी भी आदेश की जानबूझकर पालना नहीं कर 19 नवंबर को आधी अधूरी राशि 72 लाख 27 हजार 630 रुपए राज्य उपभोक्ता आयोग के नाम से ड्राफ्ट बना कर जमा करवा दी,जबकि विपक्षी को सही राशि का ड्राफ्ट प्रार्थी के नाम से जमा करना था,सो अवमाननाकर्ता को जरिए वारंट तलब किया जाए।

राज्य उपभोक्ता आयोग ने अपने

विस्तृत आदेश में कहा कि विपक्षी ने न्यायालय के किसी भी आदेश की पूर्ण पालना नहीं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य आयोग,जोधपुर के समक्ष राशि जमा करने का आदेश दिया था और कहा था कि राशि प्रार्थी को अदा की जाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी को यह जानकारी होते हुएकि राज्य आयोग का कोई बैंक खाता नहीं है, उन्होंने प्रार्थी के नाम से ड्राफ्ट नहीं बनाकर आयोग के नाम से बनाकर तलब किया है। अवमाननाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के किसी भी आदेश की पालना नहीं की है सो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत उनको दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है सो अवमाननाकर्ता को 50 -50 हजार रुपए के जमानती वारंट से 29 दिसंबर को आयोग को समक्ष तलब किया जाता है।

अवैध रूप से पेड़ काटने व कोयला कारोबार करने पर प्रशासन सख्त

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले में राजकीय भूमि और जंगलों पर अवैध रूप से पेड़ काटने के मामलों में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संघू ने तीन अलग-अलग प्रकरणों में 10 कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 (सीसीए) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। इनमें से चार कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने बनेड़ा क्षेत्र में बिना नीलामी हजारों पेड़ काटे व सबूत मिटाने के लिए ट्रैक्टर को गायब करने संबंधी मामला सामने आने पर विभागीय जांच कराई। जांच में दोषी पाए जाने पर भू अभिलेख निरीक्षक देवकर टॉक व पटवारी (हल्का बामाणिया) भगवत लाल जाट को निलंबित किया गया। साथ ही 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी जारी है एवं तहसीलदार बनेड़ा संतोष कुमार सुनारीवाल के विरुद्ध

■ जिला कलेक्टर ने 10 अधिकारियों व कार्मिकों के विरुद्ध 16 सीसीए की कार्रवाई की, चार को निलंबित किया

भी 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर को आसीद क्षेत्र के नारायणपुरा गांव के 200 बीघा जंगल में अवैध रूप से पेड़ कटवाने व अवैध तरीके से कोयला माफिया से मिलीलाभ कर कोयला बनाकर बाहर भेजने संबंधी प्रकरण सामने आया, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा जांच करवाई गई। जिला कलेक्टर ने भू अभिलेख निरीक्षक नरेशनाथ योगी व पटवारी दूल्हेपुरा गारंटी बाई मीणा को निलंबित किया, साथ ही 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी जारी है। तहसीलदार आसीद जयसिंह के विरुद्ध भी 16 सीसीए के तहत

अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिला कलेक्टर को जहाजपुर क्षेत्र में 300 बीघा बिलाजाम भूमि पर बबूल के पेड़ काटने व अवैध कोयला कारोबार से संबंधित मामला सामने आया, जिसमें विभागीय जांच करवाई गई। जांच में दोषी पाये जाने पर तहसीलदार जहाजपुर रवि कुमार मीणा, नायब तहसीलदार खजूरी बट्टीलाल मीणा, भू अभिलेख निरीक्षक अशोक कुमार धाकड़ व पटवारी हल्का किशनगढ़ अंकित कुमार गुप्ता के विरुद्ध 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर ने कहा कि राजकीय संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संरक्षण व राजस्व भूमि सुरक्षा प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं पर तत्काल सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मामूली कहासुनी में किशोर से मारपीट

डोडवाना, (निसं)। डोडवाना में एक कैफे में हुई मामूली कहासुनी ने हैवानियत का रूप ले लिया और कुछ युवकों ने एक किशोर को रामसाबास

■ मारपीट के बाद नमक झील क्षेत्र में किशोर को पटक कर भाग गये आरोपी युवक

रोड़ स्थित नमक झील क्षेत्र में ले जाकर बेरबरी से पीटा। पीटाई में आरोपियों ने इतनी हिंसेदगी की और पीड़ित किशोर को लाटियों और बेल्ट से इस कदर पीटा कि उसकी पीठ, पैर और कूल्हे पर चोट के गहरे लाल निशान बन गए। मारपीट के बाद आरोपी युवक, किशोर को नमक झील में पटककर मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित किशोर के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही परिजन उसे गंभीर हालत में लेकर राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक पीड़ित किशोर के परिजनों द्वारा पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया है।

विवादों में रही कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार

उदयपुर, (कासं)। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे ने गुरुवार को इस्तीफा स्वीकार किया। लंबे समय से विवादों में रही प्रो. सुनीता मिश्रा विवादों के बाद से ही छुट्टियों पर थी। उनके खिलाफ छात्रों ने कई प्रदर्शन भी किए थे। मिश्रा के बयान को लेकर प्रदेशभर में विरोध हुआ था। कई मंत्रियों ने भी इस पर विरोध जताया था। राजभवन से जारी पत्र में लिखा गया कि कुलगुरु के खिलाफ मिली शिकायतों पर संभागीय आयुक्त (उदयपुर) की कमेटी जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।

जाकनारी के अनुसार कुलगुरु

युवती से दुष्कर्म का आरोप

जोधपुर, (कासं)। पाक विस्थापित युवती से उसके एक परिचित ने दुष्कर्म किया। उसके फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। पीड़िता पुलिस थाने पहुंची और कैस दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि पाक विस्थापित युवती वर्ष

2014 में यहां आई। उसके साथ ही आरोपी भी 2014 में आया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 23 नवंबर को उसने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। अब उसे फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है।

तीन साल से फरार हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 साल से फरार हिस्ट्रीशीटर स्थाई वारंटी हनुमान धाकड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

कोतवाल सुनील चौधरी ने बताया कि एसपी धर्मेन्द्र सिंह यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पास जैन के निर्देशन में एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हैमन्त कुमार के

■ आरोपी से बिना नम्बरी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त, आरोपी के खिलाफ पूर्व में 11 प्रकरण दर्ज हैं

सुपरविजन में स्थाई वारंटीयों की गिरफ्तारी व आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिये एरिया डोमीनेशन को कार्रवाई के लिये विधेप पुलिस टीम का गठन किया गया। गठीत पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर हलेड तिराहा पर बिना नम्बरी स्कॉर्पियो कार जिसके शिश्णों पर काली फिल्म चढ़ी हुई सहित लम्बे समय से फरार कोतवाली थाने के हिस्ट्रीशीटर और स्थाई वारंटी हनुमान धाकड़ पिता महावीर प्रसाद धाकड़ निवासी हनुमान कॉलोनी थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया। हनुमान धाकड़ के विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार को कब्जे में रखने, धोखाधड़ी और मारपीट के 11 प्रकरण दर्ज हैं।

कार्यालय अधिशाषी अभिलेखना, राजस्थान राज्य कृषि विधणल बोर्ड, उदयपुर	दिनांक - 25/11/2025
क्रमांक - B.46/38/3उद्य./वि.ई./85/2025-26/रजबख नं. 19022496	
निविदा सूचना संख्या -06/2025-26 (NIB No. AGM2526A0206)	
राजस्थान राज्य कृषि विधणन बोर्ड खण्ड उदयपुर में जनजाति विकास कार्य, उदयपुर, राजसमन् एंव डूंगरपुर में आधुनिक कॉलेज, होसरटल, डिसेन्सरी एवं उद्यान विभाग के कार्यों की ऑनलाईन निविदाएं ई-प्रोक्चुरमेंट www.eproc.rajjasthan.gov.in के माध्यम से उपयुक्त कार्य हेतु दिनांक 22.12.2025 तक आमंत्रित की जाती है। बिडे से सम्बन्धित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.rsamb.rajjasthan.gov.in एवं www.sppp.rajjasthan.gov.in (NIB No AGM 2526A0206 & UBN No. 878 to 881 & 883 to 891) पर भी देखा जा सकता है।	
रज.सं.वहा./वी./25/14693	अधिशाषी अभिलेखना

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड-1। बीकानेर	दिनांक-20/11/2025
क्रमांक-1124	
ई-बोली सूचना संख्या-11/2025-2026	
Bid for Permanent Restoration Work on Various Roads SDGH & CD Work NH-62 to Kisturia at Ch 0/500 are invited from interested bidders from 24-11-2025 to 08-12-2025 6.00 PM. and to be opened 09-12-2025 02.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajjasthan.gov.in , http://sppp.raj.nic.in) of the state; and PWD Department website. The approximate value of the procurement is Rs 192.75 Lacs.	
(महेश्वर पाल सिंह घालिया) अधिशाषी अभियन्ता, सानिधि जिला खंड-1।, बीकानेर	
DIPRC/17382/2025	

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड	दिनांक - 26/11/2025
ई-निविदा सूचना	कार्य का विवरण
निविदा संख्या एवं दिनांक/ e-Tender No.RSMM/CO/GGM (Cont) Cont-12/2025-26 dated 25.11.2025 UBN No. MML2526WS080109	ड्रामरकोटडा रॉक फॉस्फेट माईन्स स्थित बैस केम्प चौराहे से बेल्गम गेट तक बाउंड्रीवाल निर्माण का कार्य। (निविदानुसार) अनुमानित लागत: रु. 26.70 लाख, प्यहोर राशि: रु. 53,400/-, निविदा प्रपन मूल्य 1180/-
उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.rsmm.com , www.sppp.rajjasthan.gov.in , www.eproc.rajjasthan.gov.in अथवा वरि. प्रबन्धक (अनुबन्ध) से उपरोक्त पत्र पर सम्यक् करें।	
रज.सं.वहा./वी./25/14690	उप महाप्रबन्धक (का.एल.)

राजस्थान सरकार	दिनांक - 20.11.2025
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर	
क्रमांक: प. 1/आ. मि / लैब आईटएम क्रय/ 2025-26/106	
ई- बोली विज्ञिप्त वर्ष 2025-26	
चिकित्सालय व राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभागान्तर्गत संचालित राजकीय आयुर्वेद औषधालयों के लिए लैब आईटएम आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित मूल निर्माताओं / डिस्ट्रीब्यूटर्स / अधिकृत विक्रेताओं से कुल अनुमानित राशि 14424000/- रु. की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका UBN NO.-AYU2526GL0B00318 है। लैब आईटएम क्रय हेतु निविदा फॉर्म डाउनलोड प्रारंभ करने की दिनांक 20.11.2025 सायं 6:00 बजे से एवं स्वीकार करने की अंतिम दिनांक 10.12.2025 सायं 6:00 बजे तक रखी गई है। बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट https://eproc.rajjasthan.gov.in , https://dipr.rajjasthan.gov.in , https://sppp.rajjasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट https://ayurved.rajjasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।	
DIPRC/17345/2025	निदेशक



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभि. विभाग, वृत्त बारां

क्रमांक :- अउप्र/वृत्त/बारां/2025-26/1901



भीम
राजस्थान

दिनांक: 17/11/2025

निविदा सूचना संख्या: 04 से 07/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार/कार्य के ठेकेदार तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक, दूरसंचार, रेल्वे, सेना अभियांत्रिकी सेवा, अन्य राज्य सरकारों / केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों/ संगठनों के पास सूचीबद्ध ठेकेदार, जो कि राजस्थान सरकार के "ए" श्रेणी के समतुल्य हैं भी कार्य के लिये निविदा हेतु नियमानुसार विहित अंतिम धनराशि देने के पश्चात् निविदा हेतु पात्र होंगे, से निर्धारित प्रपत्रों में ई-प्रोक्चुरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फॉर्म ऑनलाईन वेबसाईट <http://www.eproc.rajjasthan.gov.in> से दिनांक 19.11.2025 प्रातः 10:00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते हैं। ऑनलाईन निविदाएं इसी वेबसाईट पर इच्छुक संवेदकों द्वारा दिनांक 19.11.2025 से 04.12.2025 सायं 18:00 बजे तक उपलब्ध किये जा सकते हैं। वेबसाईट पर दिनांक 05.12.2025 को इस कार्यालय में दोपहर 15:00 बजे निविदा खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन कार्यदिवस को उसी समय पर निविदा खोली जावेगी। निविदा शुल्क/प्रक्रिया शुल्क/धरोहर राशि निविदादाता द्वारा ई-ग्रान्ट के माध्यम से जालान की प्रति इस कार्यालय में 05.12.2025 को दोपहर 1:00 बजे तक जमा करवाना होगा। विभाग में पंजिकृत स्थाई संवेदक/धर्म पंजीवन जीवित नहीं होने, संवेदक/धर्म का पुनरावलोकन जीवित नहीं होने की स्थिति में निविदा माय्य नहीं होगी। उक्त निविदा एक्सपीरी पेटेल पर प्रकाशित की जा चुकी है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेबसाईट पर देखे जा सकते हैं :-

1. <http://www.eproc.rajjasthan.gov.in>

2. <http://www.sajasthan.gov.in>

04/ 2025- 26	Annual Rate contract for Construction & Commissioning of 200 mm & 150 mm tube wells with Submersible pump sets etc. complete work in all types of strata including defect liability period of 02 year at various villages of PHED Division Chhabra UBN No.: PHE2526 WSR0C08646	150.00	3,00,000/-	75000/-	5000/- 2000/-	12 माह
05/ 2025- 26	Annual Rate contract for Construction & Commissioning of 200 mm & 150 mm tube wells with Submersible pump sets etc. complete work in all types of strata including defect liability period of 02 year at various villages of PHED Division Baran. UBN No.: PHE2526 WSR0C8651	150.00	3,00,000/-	75000/-	5000/- 2000/-	12 माह
06/ 2025- 26	Annual Rate Contract for supply & installation of Pump sets, Feeder Panels & allied works at various schemes under jurisdiction of Dn Chhabra, Dist. Baran UBN No. PHE 2526 WSR0C8652	100.00	2,00,000/-	50,000/-	2000/- 1500/-	12 माह
07/ 2025- 26	Annual Rate Contract for supply & installation of Pump sets, Feeder Panels & allied works at various schemes under jurisdiction of Dn Baran, Dist. Baran UBN No. PHE 2025 WSR0C8653	100.00	2,00,000/-	50,000/-	2000/- 1500/-	12 माह

जल ही जीवन है

(आलोक कुमार गुप्ता) अधीक्षण अभियंता जनस्वा.अभि. विभाग, वृत्त बारां

DIPRC/17307/2025

RIICO	RAJASTHAN
राजस्थान सरकार का उपक्रम	REPLUTE • RESPONSIBLE • READY
औद्योगिक विकास के खुल रहे नये द्वार आप भी बनें भागीदार	
सरत ई-नीलामी के माध्यम से	आवंटन
अन्तिम 4 दिन शेष	
आधारभूत सुविधाओं युक्त औद्योगिक क्षेत्रों में करें उद्यम की स्थापना	
61 कुल औद्योगिक क्षेत्र	322 कुल भूखण्ड
312 औद्योगिक भूखण्ड	10 लॉजिस्टिक भूखण्ड
उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लागू नहीं है	
ईएसडी	अंतिम तिथि: 01 दिसम्बर, 2025 (सायं 06:00 बजे)
ऑनलाईन विड	प्रारम्भ तिथि: 02 दिसम्बर, 2025 (प्रातः 10:00 बजे)
अंतिम तिथि: 04 दिसम्बर, 2025 (सायं 05:00 बजे)	
33 आबू रोड	09 चूरू
21 अजमेर	10 बीकानेर
02 अलवर	14 श्रीगंगानगर
07 भिवाड़ी-I	22 किशनगढ़
14 भिवाड़ी-II	16 भीलवाड़ा
08 बोरानाडा	01 जयपुर (ग्रामीण)
09 धिलोठ	04 भरतपुर
03 नीमराना	
*25% भूयतन के बाद, शेष 75% भूयतन 11 किस्मों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भूयतन या	आवेदन के लिए QR कोड स्कैन करें
रीको की टर्न लोन स्कीम के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुतिगत अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ	
*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए	
राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंन्ट एण्ड इन्वेस्टमेंन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005	
ई-नीलामी हैल्पलाइन नं. 0141-4593250, 4593237, कस्ट्स्एफ+91 9001306515, ई-मेल: riico@riico.co.in	
आवंटन से सम्बंधित विगोली एवं सॉ, ईमेली विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से सम्बंधित जानकारी के लिए देखें https://riico.rajjasthan.gov.in या https://www.riico.co.in	

सार-समाचार

पुखराज विश्नोई जिलाध्यक्ष बने

जालोर, (कासं)। कांग्रेस पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सुशील पारिक ने गुरुवार को कांग्रेस पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के तौर पर पुखराज विश्नोई को नियुक्त किया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार नवगठित कांग्रेस पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सुशील पारीक ने जालोर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं , सांसद प्रत्याशी, विधायक , विधानसभा प्रत्याशी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रथम जिलाध्यक्ष के तौर पर पुखराज विश्नोई को नियुक्त किया है। पुखराज विश्नोई पूर्व में कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, इसके साथ ही विश्नोई भीनमाल नगर पालिका मंडल भीनमाल व जिला आयोजन समिति (जिला परिषद) जालोर के निर्वाचित सदस्य भी रह चुके हैं। पुखराज विश्नोई की नियुक्ति से जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। पुखराज विश्नोई ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जिस भावना से प्रदेश नेतृत्व ने संगठन को उपरोक्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उसे पुरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ नेताओं के मार्गदर्शन व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरी करने के प्रयास करूंगा।

डॉ .हेमन्त जैन का अभिनंदन किया

जालोर, (कासं)। जालोर शहर में एक ही छत के नीचे सभी मेडिकल सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराने पर भारत विकास परिषद् शाखा जालोर की ओर से शहर के चिकित्सक व परिषद् जालोर शाखा के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. हेमंत जैन का बुधवार शाम को उनके नव निर्मित चिकित्सालय में परिषद् के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष पदमराम चौधरी, प्रांतीय संयोजक (सेवा)मदनलाल माली, जिला महिला समन्वयक मधु शेखावत एवं शाखा अध्यक्ष राजेंद्र भूतडा की मौजूदगी में अभिनंदन किया गया। परिषद् पदाधिकारियों ने परिषद् के सम्मान प्रतीक दुपट्टा पहनाकर व शाल ओढाकर डॉ. जैन का माल्यार्पण के साथ अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह में पदमराम चौधरी ने बताया कि भारत विकास परिषद् स्वामी विवेकानंद के नर सेवा ही नारायण सेवा है, के ध्येय को लेकर समाज में कार्य करता है और डॉक्टर हेमंत जैन ने इसी मानवीय सेवा भावना के साथ आधुनिक उच्च गुणवत्ता युक्त जांच मशीनरी से सुसज्जित नवीन चिकित्सालय का निर्माण कर सभी मेडिकल संबंधित सेवाओं को एक ही छत के नीचे लाकर जालोर क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा के लिए अतृ्णी सीमांत प्रदान की है। क्ल स्वल्प परिषद् की ओर से डॉ.जैन का बहुमान कर उनके इस पुनित सेवा कार्य की सराहना की जाती है। इस दरम्यान डॉ. हेमंत जैन ने परिषद् का आभार जताते हुए कहा कि उनके अस्पताल में असहाय, निराश्रित व बेसहारा मरीजो, गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तिओं तथा गर्भवती महिलाओं के लिये पूर्ण संवेदनशीलता व मानवीय मूल्यों के साथ प्राथमिकता से त्वरित इलाज की विशेष सुविधा हर समय 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर शाखा के संचिव शांतिलाल सोनी, कोषाध्यक्ष शंकर लाल सोलंकी, शाखा महिला संयोजक मंजू चौधरी, श्यामा भूतडा, बालकृष्ण शर्मा, महेंद्र आनंद वैष्णव, प्रेम कुमार परमार,भंवरलाल सुथार, भूपेंद्र सोनी कमल किशोर भूतडा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सीवरेज होदियां ओवरफ्लो, लोग परेशान

पाली, (नि.सं.)। पाली शहर के भालेलाव रोड स्थित सोमनाथ नगर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सीवरेज प्रणाली बाधित होने के कारण लगभग सात से अधिक सीवरेज होदियां ओवरफ्लो हो रही है। इससे वार्ड नंबर 54 के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि होदियों के ओवरफ्लो होने से सड़कों पर कीचड़ फैल जाता है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी खतरा बढ़ जाता है। वार्डवासीयों ने बताया कि पूर्व में भी इस समस्या को लेकर नगर निगम में कई बार शिकायतें दर्ज करवाई गईं, लेकिन अभी तक किसी तरह का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। क्षेत्रवासियों ने यह भी बताया कि गंभीर स्थिति को देखते हुए वे पूर्व में कई बार ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में तुरंत सीवरेज लाइन की सफाई एवं सुधार कार्य करवाकर समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।

निगम ने एम्स रोड से अतिक्रमण हटाए

जोधपुर, (कासं)।जोधपुर में नगर निगम ने एम्स रोड से अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान निगम टीम ने रास्ते में अतिक्रमण को ध्वस्त किया। वहीं कुछ ठेले, ढाबों के सामान जब्द किए। एम्स के गेट नंबर-3 के सामने सड़क पर भी अतिक्रमण हटाया गया। इस रोड पर एक तरफ ठेले-ढाबे वाले तो दूसरी तरफ मेडिकल के दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा था। हालांकि रोड पर थड़ी-ठेले वाले कार्रवाई की सूचना मिलने से नजर नहीं आए। नगर निगम की टीम ने गुरुवार को यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम उपयुक्त ताराचंद वैकट के नेतृत्व में निगम टीम ने दाऊजी की होटल से लेकर एम्स रोड 6 नंबर गेट तक कार्रवाई की। मेडिकल के दुकानदारों ने कहा कि एम्स रोड पर नाले पर अतिक्रमण हटाने से पहले सूचना नहीं नोटिस दिया गया था, उन्हें जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने तो वे स्वयं अपना सामान हटा लेते और उन्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ता।

धर्मेन्द्र राठौड़ राष्ट्रीय महासचिव बने

जोधपुर, (कासं)।अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगरा महासभा रजि. दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबुलाल आर्य ने जोधपुर के धर्मेन्द्र राठौड़ को अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगरा महासभा के महासचिव पद पर मनोनीत किया। आर्य ने राठौड़ को महाराष्ट्र व दिल्ली प्रदेश के प्रभारी का कार्यभार भी सौंपा।

आईदानसिंह भाटी फिर से प्रदेश मंत्री

जैसलमेर, (नि.सं.)। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी में युवा नेता आईदान सिंह भाटी को फिर से प्रदेश मंत्री बनाया है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि भाटी का चुना जाना पश्चिमी राजस्थान में पार्टी को और मजबूत करेगा।

आयुक्त दिलीप माथुर ने सीवरेज कार्यों का निरीक्षण किया

जालोर, (कासं)। जालोर शहर में लंबे समय से परेशान कर रही सीवरेज समस्या को लेकर गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त दिलीप माथुर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सिवरेज कार्यों का व्यापक निरीक्षण किया। आयुक्त ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को जरूरी दिशा-निर्देश देते हुए कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जालोर शहर के हैड पोस्ट ऑफिस रोड,

कस्तूरबा कोलॉनी ,बडी पोल , लाल पोल के बाहर सहित विभिन्न मोहल्लो में सीवरेज जाम और गंदगी से परेशान लोगों ने हाल ही में नगर परिषद को ज्ञापन सौंपकर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की थी। जिस पर नगर परिषद ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिवरेज लाइन की खुदाई और मरम्मत का काम शुरू करवाया।

पिछले कई दिनों से चल रहे काम में तेजी आई है। पिछले कई दिनों से

शहरभर में सिवरेज लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है।

आयुक्त के निरीक्षण के बाद कार्यों में और तेजी दिखाई दी है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि पहले गंदा पानी सड़कों पर बहर रहा था, अब काफी राहत मिली है।

जालोर शहर में सीवरेज जाम के कारण मुख्य सड़कों पर फैल रही बदबू और गंदगी अब कम हो गई है।

हैड पोस्ट ऑफिस रोड सहित

आसपास के इलाकों में पानी की निकासी सुचारु होने से लोगों ने राहत की सांस ली।

नगर परिषद का दावा है कि जल्द ही पूरे शहर में स्थिति सामान्य होगी। नगर परिषद आयुक्त दिलीप माथुर ने बताया कि जिन स्थानों पर अभी कार्य बाकी है, वहां भी जल्द समाधान किया जाएगा। जालोर शहर में सिवरेज सुधार अभियान लगातार जारी है और जल्द ही मार्गों पर स्थिति सामान्य हो जाएगी।

शिव सेना ने ज्ञापन दिया

जालोर, (कासं)। शिवसेना जालोरे के जिला प्रमुख रुपराज राजपुरोहित को गत दिनेो आहोर में भूमि घोटाला को लेकर दिये जा रहे धरने से थाना आहोर द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में रखकर धमकाने व दबाव बनाने वाले पुलिस कमियों को खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर गुरुवार को एसपी जालोर शैलेन्द्रसिंह इन्दोलिया को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि 22 अप्रैल को बिना किसी विधिक आधार के, आहोर थाने के एस.आई. नरपत सिंह द्वारा शिव सेना के जिला प्रमुख रुपराज पुरोहित को गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें बिना वजह कई घंटों तक हिरासत में रखा गया। ज्ञापन देने के दौरान उप जिला प्रमुख नारायण पुरोहित , शहर प्रमुख मिश्रीमल परिहार, जसवंत राणा, जयप्रकाश माली, दलपतसिंह पुरोहित, सूरजकुमार सहित कई कार्यकर्ता व लोग मौजूद थे।

ओरणों के भविष्य व विविधता की रूपरेखा पर मंथन, कार्यशाला संपन्न

फलोदी, (नि.सं.)। कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस), अलवर द्वारा आयोजित ओरण संरक्षण कार्यशाला का गुरुवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ।

अंतिम दिवस में कृपाविस द्वारा फलोदी के ओरणों में वर्तमान चुनौतियों, खतरों, वन्यजीव संरक्षण और भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

सत्र की शुरुआत में मारवाड़ रत्न से सम्मानित कृपाविस के संस्थापक अमन सिंह व काजरी के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, डॉ. जे. पी. सिंह ने वर्तमान परिदृश्य में ओरणों को हो रहे खतरों (जैसे अतिक्रमण और खनन) तथा समुदाय की आजीविका में उनके महत्व एवं ओरणों का संरक्षण सीधे तौर पर स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय पर चर्चा की गई। राजकीय महाविद्यालय, फलोदी के व्याख्याता प्रमोद कुमार थानवी ने फलोदी जिले के खार व कोलू पाबूजी ओरणों में पाई जाने वाली मरुस्थलीय वन्यजीव व पक्षियों की विविधता और उनके संरक्षण के उपायों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इनकेत जैसलमेर के संयोजक, विरेंद्र सिंह व सहयोगी बलवन्त सिंह जोधा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों के संदर्भ में ओरणों और देवढणियों के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। इस

सत्र का मुख्य उद्देश्य समुदाय को ओरणों के स्थिति व कानूनी संरक्षण के लिए जागरूक करना था।

अगले सत्र में अमन सिंह और डॉ. जे. पी. सिंह द्वारा फलोदी जिले में ओरण संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम की आगामी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस रूपरेखा में समुदायिक सहभागिता, कानूनी सहायता और जल स्रोतों के पुनरोत्थान को प्राथमिकता दी गई। एफ. ई. एस. की प्रतिनिधि फुली देवी ने ओरणरूपी धरोहर को संरक्षित करने पर सम्भागियों के बीच अपने विचार रखे। समापन के दौरान अमन सिंह, डॉ. जे. पी. सिंह और कृपाविस निदेशक प्रतिभा सिसोदिया द्वारा सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया गया। उन्होंने ओरणों के संरक्षण के लिए सामुदायिक प्रयास जारी रखने और इस ज्ञान को जमीनी स्तर पर लागू करने का आग्रह किया। इस तीन दिवसीय कार्यशाला में प्राप्त ज्ञान और अनुभवों के आधार पर, कृपाविस और स्थानीय समुदाय ओरणों के प्रभावी और टिकाऊ संरक्षण के लिए एक संयुक्त रणनीति पर काम करेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला में लगभग 45 सम्भागियों ने सक्रिय भाग लिया, जिसमें शिवलाल पालीवाल, नारायण भारती, विकास खिलेरी, जयप्रकाश सिंह, सीता देवी, सन्तोष देवी, पूनाराम एवं देवाराम शर्मा शामिल हुए।

न्यायाधीश अहसान अहमद ने निरीक्षण किया

जालोर, (कासं)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश हारून के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अहसान अहमद ने गुरुवार को वात्सल्य चारुड केयर होम व सखी सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। केयर होम में अधीक्षक खीवसिंह राजुरोहित को निर्देश दिए कि सर्दी के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जावे। समय पर दवाइयां दी जावे एवं खान पान के बारे में भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस दौरान

उन्होंने दवाइयों का अवलोकन किया एवं दवाइयों को उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने रसीद घर का भी अवलोकन किया। उन्होंने बाहर से लाने वाली सब्जियों को अच्छी तरह धोकर उपयोग में लेने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने राजकीय अस्पताल में संचालित सखी सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संधारित किए जाने वाले रजिस्ट्ररों का अवलोकन किया एवं आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यहां आने वाली पीड़िताओं को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे। उन्होंने सखी सेंटर के प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए।

ईआरओ मोहित कासनियां राज्य स्तर पर सम्मानित

जालोर, (कासं)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग ईआरओ में चयन होने पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन द्वारा गुरुवार को वीसी के माध्यम से भीनमाल विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मोहित कासनियां को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा प्रेषित प्रशस्ति पत्र भीनमाल ईआरओ मोहित कासनियां को शुभकामना देते हुए प्रदान किया।

मतदाता सुविचों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत

जिले में अब तक 1262095 गणना प्रपत्र डिजिटाइज हुए हैं। मतदाता भरे हुए परिगणना प्रपत्र 4 दिसम्बर से पूर्व बीएलओ के पास जमा करवाए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे के निर्देशन में मतदाता सुविचों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम- 2026 के गणना चरण के दौरान गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज किया जा रहा है। मतदाता भरे हुए परिगणना प्रपत्र 4 दिसम्बर से पूर्व बीएलओ के पास जमा करवाए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि जिले में एसआईआर -2026 के गणना चरण के दौरान गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज भी किया जा रहा है। अब तक जालोर जिले में कुल 1262095 (82.86

प्रतिशत) गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज किया गया। जिले के आहोर विधानसभा में 210398 (74.60 प्रतिशत), जालोर विधानसभा में 241448 (79.13 प्रतिशत), भीनमाल विधानसभा में 296247 (91.36 प्रतिशत), सांचौर विधानसभा में 289601 (88.72 प्रतिशत) व रानोवाड़ा विधानसभा में 224401 (78.65 प्रतिशत) गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज किया जा चुका है।

जिले में 195 बीएलओ द्वारा एसआईआर कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है जिसमें सर्वाधिक भीनमाल विधानसभा के 114 बीएलओ की ओर से शत-प्रतिशत एसआईआर पूर्ण किया गया है।

बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार

रेवदर, (निसं)। अनादर पुलिस ने गुरुवार को मोटरसाईकिल चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

अनादरा पुलिस थानाधिकारी कमलेश के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया जाकर 22 नवम्बर 2025 की रात्रि में गांव उडवारिया में अज्ञात चोरों द्वारा प्रार्थी जेताराम पुत्र मोतीरामजी जाति रेबारी निवासी उडवारिया के घर के बाहर से मोटरसाईकिल को चोरी करके ले जाने

की घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश की जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर पुलिस ने उक्त चोरी की घटना को गंम्भीरता से लेते हुए माल, मुल्जिम की सरगामी से तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर मोटरसाईकिल बरामद की गई।

जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही कमलबजनी व चोरी की वारदात को गंम्भीरता लेते हुए श्री कमलेश निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना अनादरा के निर्देशन में विशेष टीम का

गठन किया गया। उक्त टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाकर घटनास्थल से लिंक-टू-लिंक साक्ष्य एकत्रित करवाने शुरू किये गये। जिसमें पुलिस द्वारा घटना स्थल पर आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज चैक किये गये व घटनास्थल के आस पड़ौस में लोगों से पुछताछ की गई तथा तकनीक अनुसंधान किया गया। पुलिस को ख़ास मुखबिरान से चोरी करने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान दादीया पुत्र बाबु जाति गमेती भील निवासी भुरी

अवैध वसूली के लिए धमकाने का एक और आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। कमिश्रेट की कुड़ुी भगतासनी पुलिस ने भूखंड पर कब्जा और अवैध वसूली के लिए धमकाने के प्रकरण में एक और आरोपी को पकड़ा है। इसमें पहले दो आरोपियों हिस्ट्रीशीटर सहित एक अन्य को पकड़ा जा चुका है।

थानाधिकारी हमीर सिंह ने बताया कि रातानाडा स्थित हाईकोर्ट कॉलोनी निवासी रमेश चंद्र खंडेलवाल ने गत 25 अगस्त को रिपोर्ट में बताया कि उसका भूखंड बासनी चौहाना गांव में आया है। जिसको उसने वर्ष 2005 में राजेंद्र भंडारी से रजिस्ट्री करवाई थी। 22 जुलाई 25 को वह अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा था तब राकेश मिर्धा,

दिनेश भादू, सूरज भाटी आदि और प्लॉट को लेकर धमकाने लगे। प्लॉट पर नहीं जाने की हद्दियत दी। रमेश खंडेलवाल 17 अगस्त को प्लॉट पर बारंडी वाल कराने गया तो पता आरोपी आए और फिर धमकाया और प्लॉट के बदले 20 लाख की डिमाण्ड की। थानाधिकारी हमीर सिंह ने बताया कि प्लॉट पर कब्जा करने और अवैध वसूली के लिए धमकाने के इस प्रकरण में पहले हिस्ट्रीशीटर और एक आरोपी को पकड़ा गया था। आज एक वांछित आरोपी घोड़ों का चौक स्थित द्धेश्वर महादेव मंदिर हाल कुड़ी सेक्टर 8 निवासी वीरेंद्र निक्कू व पुत्र सत्य नारायण निक्कू को पकड़ा गया है।

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

जालोर, (कासं)। वित्तीय समावेशन और विकास विभाग भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर के तत्वावधान में गुरुवार को ग्रेनाइट एसोसिएशन के सभा भवन में फौलड स्तरीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया।

वित्तीय साक्षरता, जन सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन, बैंकिंग लोकपाल व साइबर फ्रोंड से बचने के उपायों की जानकारी दी। बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी हुई तथा उन्हें पारितोषिक भी प्रदान किए गए। रिजर्व बैंक, जयपुर के सहायक महाप्रबंधक जे के नायर व मनीष, मण्डल प्रबंधक विध्याचल सिंह,

भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, जालोर के सहायक महाप्रबंधक रमेश राम टांक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के अनन्त आर्य, राजस्थान ग्रामीण बैंक जालोर के क्षेत्रीय प्रबंधक के प्रतिनिधि मनीष कुमार, जिला अग्रणी बैंक के मुख्य प्रबंधक रमेश कुमार, सहायक अग्रणी बैंक कार्यालय अर्जुन परिहार एवं साईबर क्राइम की रोकथाम के एक्सपर्ट टीम के मोहनलाल, चंपालाल, सुरेश चौधरी, चंद्राराम कुमावत, अशोक सिंह, मुमताज पठान, रमजान खान, नेमाराम, भंवर लाल, अजय कुमार उपस्थित रहे।

हाथला में जलग्रहण महोत्सव आयोजित

बाड़मेर,(नि.सं.)। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग की ओर से देश भर में आयोजित किए जा रहे वाटरशेड महोत्सव के तहत फागलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत हाथला में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, बाड़मेर की ओर से महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, ठाकुर रतनसिंह बाखासर तथा सरपंच भुरीदेवी, एबीडीओ प्रभुलाल परिहार, कनिष्ठ अभियंता प्रताप देवासी, पटवारी छगनलाल, अम्बादान, वाईपंच

करणीदान, सरपंच प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक आदूराम मेघवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद ग्रामीणों एवं विभागीय अधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया।

विधायक मेघवाल ने अपने उद्घोषन में विभाग की ओर से कराए जा रहे जल संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक होने और इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने का आहवान किया। उन्होंने जल, जंगल एवं वनस्पति के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

श्रम संहिताएं इई लागू

मोदी सरकार की गारंटी

आईटी सेक्टर के लिए

- निश्चित अवधि के कामगारों को स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ; नौकरी के एक वर्ष पूरा होने पर ग्रेज्युटी
- कैलेंडर वर्ष में 180 दिन काम करने पर वार्षिक वेतन सहित अवकाश का प्रावधान
- सभी कामगारों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र
- हर माह की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान अनिवार्य
- महिलाओं को सहमति से नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति
- घर से काम करने का प्रावधान
- क्रेच सुविधा, नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच और त्वरित शिकायत निवारण सुनिश्चित

आत्मनिर्भर भारत के लिए लेबर रिफॉर्म्स

“ देश को अपनी श्रम-शक्ति पर गर्व है। श्रमेव जयते! ”

-प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की घोषित नीति है- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में पर्यटन के प्रीसमिट सम्मेलन को संबोधित किया

जयपुर, 27 नवम्बर। गुरुवार को एक निजी होटल में प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में आयोजित पर्यटन विभाग की प्री-समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह आयोजन राजस्थान को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की हमारी सामूहिक

- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पर्यटन का निरंतर विकास हो रहा है। इस वर्ष अगस्त माह तक राज्य में 15 करोड़ से अधिक देशी पर्यटक और 12 लाख विदेशी पर्यटक आ चुके हैं।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में आयोजित पर्यटन विभाग की प्री-समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री दीपा कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत मौजूद थे।

वन्यजीव अभयारण्य, आस्था धाम और झीलों की उपलब्धता राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में निराला प्रदेश बनाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस वर्ष अगस्त तक राज्य में 15 करोड़ से अधिक देशी तथा करीब 12 लाख विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास के साथ-साथ विरासत के मूल मंत्र को आत्मसात् करते हुए, राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को

बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद 2.0 योजना के अंतर्गत, खादुरस्थाम जी, करणी माता मंदिर, मालासेरी डूंगरी समेत, अनेक धार्मिक स्थलों का विकास कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी

बिल्डिंग फंड गठित किया है।

प्री-समिट में उप-मुख्यमंत्री दीपा कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, केंद्रीय पर्यटन अपर सचिव एवं महानिदेशक सुमन बिल्ला, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, हिन्दुस्तान ज़िंक के सीईओ अरुण मिश्रा सहित, संबोधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं उद्यमी उपस्थित थे।

हम प्रदूषण पर तुरंत समाधान की उम्मीद नहीं करें- सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। उच्चतम न्यायालय दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (एमसी मेहता मामले) से संबंधित मामले को अगले सोमवार को तत्काल सुचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है लेकिन न्द न्यायालय ने आगाह किया कि न्यायपालिका से इस स्तर के संकट का तुरंत समाधान देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को इस मामले की तत्काल सुचीबद्धता के उल्लेख की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता एक "स्वास्थ्य आपातकाल" है। पीठ ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय को तदर्थ न्यायिक निर्देशों के बजाय, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जानकारी पर निर्भर रहना चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की "खतरनाक" स्थिति को उजागर करने वाली न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह से मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम समस्या जानते हैं। हमें सभी

दिल्ली विस्फोट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ताकि उनका इस्तेमाल हमलों में किया जा सके।

एजेंसी के मुताबिक, वानी के खिलाफ सबूतों से पता चलता है कि उसने 10 नवंबर को लाल किला ब्लास्ट में मदद के लिए आतंकवादी नेटवर्क को

टेकिनकल सपोर्ट देना जारी रखा। ये गतिविधियां बड़े हमलों की साविश का हिस्सा थीं। इस मामले में आगे की जांच चल रही है। एनआईए टीम वानी से दूसरे संभावित साथियों, ड्रोन सप्लाई नेटवर्क और टेकिनकल मांड्यूल के बारे में पूछताछ करेगी।

‘स्वतंत्र यूट्यूब चैनलों की जवाब देही तय की जाए’

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने मीडिया तथा ओटीटी संस्थाओं द्वारा अपनाने गये मौजूदा स्व-नियमन ढ ंचे पर असंतोष व्यक्त किया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील, आपत्तिजनक या अवैध सामग्री की निगरानी के लिए एक "तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त"

नियामक निकाय की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ गुरुवार को पॉडकास्ट रणवीर इलाहाबादिया और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में ऑनलाइन शो "इंडियाज गॉट टैलेंट" से संबंधित कथित अश्लील सामग्री को लेकर दर्ज प्राथमिकी को एक साथ करने की मांग की गयी है।। इससे पहले न्यायालय ने ऑनलाइन अश्लीलता पर व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए मामले के दायरे को बढ़ा ाया था। मुख्य न्यायाधीश ने स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किसी भी नियामक ढ ंचे की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा, "तो मैं अपना चैनल बनाता हूं, मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं... किसी को तो जवाबदेह होना चाहिए!" उन्होंने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे "विकृति" को सही ठहराने के लिए नहीं बढ़ा ाया जा सकता।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि

हाईकोर बदमाश प्रदीप गुर्जर कुख्यात 6161 गैंग का सरगना है। यह गैंग मुख्य रूप से हाईवे पर स्थित होटल

‘ अगर इमरान ज़िंदा हैं तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा ’

इमरान की पार्टी के लोगों ने इमरान की हत्या की आशंका जताई

रावलपिंडी, 27 नवंबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जीवित होने को लेकर सरसंसे और भी ज्यादा गहरा गया है। पिछले 3 हफ्ते से इमरान खान के बारे में उनके परिवार और परिजनों को कोई खबर नहीं दी गई है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया और जापानी मीडिया में इमरान खान की जेल में मौत होने को खबरें आती की तरह फैल रही हैं। इस बीच पाकिस्तान ने साढ़ े पांच बजे नेशनल असेंबली की आपात बैठक बुला ली है। इससे बड़ी अलहोनी की आशंका जन्म ले रही है। इन्हीं आशंकाओं के बीच खैरपरख्तूनखा राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी बृहस्पतिवार को जब इमरान से मिलने अडियाला जेल पहुंचे तो उन्हें मिलने से रोक दिया गया।

मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने कहा कि उन्हें इमरान खान से जेल में मिलने से मना कर दिया गया। इसलिए वे जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। पिछले कई दिनों से इमरान खान की मौत हो जाने की अफवाहें पाकिस्तान से लेकर

मुंबई में सीट बंटवारे पर ठाकरे बंधुओं में मतभेद हुआ

मुंबई, 27 नवंबर। मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच 75 सीटों को लेकर एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है। सुत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गतिरोध दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मध्य मुंबई स्थित उनके आवास शिवतीर्थ पर पूर्वाह्न में मुलाकात की।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हार्डकोर सदस्य प्रदीप गुर्जर गिरफ्तार

एंटी गैंग्स्टर टास्क फोर्स ने नाटकीय तरीके से गुरुग्राम की पॉश सोसायटी में उसे पकड़ा

- पुलिस के अनुसार, हार्डकोर बदमाश प्रदीप गुर्जर कुख्यात 6161 गैंग का सरगना है। यह गैंग मुख्यतः हाईवे पर स्थित होटल संचालकों से जबरन रंगदारी वसूलने में लिप्त है।**

के मुकदमे दर्ज हैं। सात आपराधिक मुकदमों में फरार चलने के कारण एसपी कोटपुतली द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था।

एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में, एक विशेष टीम को इस हार्डकोर बदमाश को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया,

जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर राम सिंह द्वारा किया गया। टीम ने मुखबिरों को एक्टिव किया। इसके बाद हेड कॉन्स्टेबल सुधीर कुमार को उसके गुरुग्राम में होने की पुख्ता जानकारी मिली।

यह एक चुनौतीपूर्ण मिशन था, जहाँ टीम ने करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और रेकी की। आरोपी गुडगांव के खेड़कीदोला थाना क्षेत्र की एक विशाल और लग्जरी सोसायटी एम आर पाम हिल के एक फ्लैट में छिपा हुआ था।

टीम ने सोसायटी के नाकों पर सदस्य तैनात किए और गाड़ बनकर हेड कॉन्स्टेबल सुधीर ने अंदर पल-पल की जानकारी हासिल की। सटीक स्थिति का पता चलते ही टीम ने फ्लैट पर छापा मारा और गैंग्स्टर प्रदीप रावत को घेर कर दबोच लिया। टीम आरोपी को कोटपुतली लेकर आई है और उसे थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस द्वारा उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे कई अन्य मामलों के खुलासे की पूरी संभावना है।

स्पीकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी तरह से सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। दोनों उपमुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनके दिल्ली हवाई अड्डे पर आमनन पर भाजपा सदस्यों द्वारा एक असामान्य गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, जो आमतौर पर राज्यस्तरीय मंत्रियों को राजधानी में नहीं मिलता।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके लिए विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर कई पूर्व-निर्धारित बैठकें हुईं। यह सब इस बात को दर्शाता है कि पार्टी बिहार के बदलते राजनीतिक ढांचे को लेकर काफी गंभीर है। गृह मंत्रालय पर तो भाजपा का नियंत्रण है ही, और अब वह स्पीकर पद पर काबिज होने की तैयारी में है, जिससे पार्टी के पास अब कानून-व्यवस्था और विधायी प्रक्रिया, दोनों का नियंत्रण होगा। यह दोहरा कब्जा भाजपा को बिहार में सत्ता का केन्द्र बना देता है, जिसके चलते नीतीश कुमार के पास काम करने की सीमित गुंजाइश ही बचती है।

पर्वेक्षकों का कहना है कि ये घटनाक्रम भाजपा प्रेरित शासन के एक नए युग का संकेत है, जहां नीतीश मुख्मन्त्री के पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन सत्ता की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अब भाजपा के हाथों में है।

एसआईआर भरते हुए बंगलादेशी गिरफ्तार

- बंगलादेशी नदीम 15 साल पहले भारत आया था और आधार कार्ड बनवा कर रह रहा था।**

कि नदीम सरदार करीब 15 साल पहले भारत आया था और उसने गोबरा क्षेत्र के रोबिन नामक एक व्यक्ति को 4,000 रुपये देकर अपना आधार कार्ड बनवाया

कोलकाता, 27 नवंबर। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के डानकुनी शहर में 15 साल से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को एक मृत व्यक्ति के नाम पर विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) के तहत राणना पत्र भरने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आरोपी को मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ...

शिवकुमार, दोनों को दिल्ली बुलाया जाएगा।

उधर डीके शिवकुमार ने अब तक टकराव की स्थिति नहीं बनाई है और राजनीतिक रूप से संतुलित बयान दिए हैं। उन्होंने तो अपने प्रतिद्वंद्वी को उस पद, जिसे वे चाहते हैं, पर बने रहने का समर्थन भी सार्वजनिक रूप से किया है और अपने समर्थन में आए बयानों – जैसे रामनगर के विधायक इकबाल हुसैन का “200 प्रतिशत पक्का” वाला बयान, को भी हल्का किया है।

लेकिन उन्होंने कई बार संकेतों में तीखी बातें भी कही हैं, जिनमें वादों को निभाने की याद दिलाना शामिल है। माना जाता है कि उनका इशारा सीधे सिद्धारमैया की तरफ था।

सिद्धारमैया-शिवकुमार विवाद कांग्रेस की 2023 जीत के बाद शुरू हुआ। पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया को चुना, जबकि शिवकुमार का मानना ​​था कि जीत दिलाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही, इसलिए यह पद उन्हें मिलना चाहिए था।

इसके बजाय उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया, पर प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनके पास रहने दिया गया। कांग्रेस का "एक व्यक्ति, एक पद" नियम इस मामले में ढीला किया गया। उसी समय

एक 'समझौता' चर्चा में था, जिसका जिक्र शिवकुमार ने “हम पांच-छह लोगों के बीच हुआ गुप्त समझौता” कहकर किया था, जिसके अनुसार, आधे कार्यकाल के बाद सिद्धारमैया पद छोड़ देंगे।

पांच साल के कार्यकाल का मध्य बिंदु पिछले सप्ताह पार हो गया। तब से शिवकुमार खेमे के विधायक परिवर्तन की मांग जोर-शोर से उठा रहे हैं। शिवकुमार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे पद चाहते हैं और उन्होंने पिछले दिनों कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने से संकेत भी दिया था, जो मुख्यमंत्री पद पाने की इच्छा का प्रतीक है।

ईडी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अधिकारियों को गोपनीय निरीक्षण निवरण लीक करने के एवज में रिखत दी गयी थी। आरोप है कि इस जानकारी के लीक होने से मेडिकल कॉलेज को जरूरी मापदंडों में हेरफेर करने और अवैध रूप से अनुमोदन लेने में मदद मिली। जिन परिसरों की तलाशी ली जा रही है, उनमें सारे मेडिकल कॉलेज और निजी आरोपियों के ठिकाने शामिल हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मूद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इन्डस्ट्रियल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं०. **RAJHIN/2006/17286**
जयपुर कार्यालय : सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन : 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायका हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन : 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : इंदुबाना हाऊस, इनुपान हथवा, बीकानेर। फोन : 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय : आषाढ मैर रोड आषाढ, उदयपुर। फोन : 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय : राष्ट्रदूत भवन, चूरी नाका के पास, अजमेर। फोन : 2627612, फैक्स:0145-2624665
जालौर कार्यालय :- जी1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन726422,226423, फैक्स: 02973-226424
हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी1-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 2304000, फैक्स: 07469-230600
चूरु कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

